[2021] 12 एस. सी. आर. 311

विकास कुमार

बनाम

संघ लोक सेवा आयोग और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 273)

11 फरवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना, जे. जे.]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016। 2 (आर), 2 (एस), 2 (वाई), 3 और 56-सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2018-सुविधा

सिविल सेवा परीक्षा में एक लिपिक का-अधिकार - अपीलार्थी को डिस्ग्राफिया के रूप में अक्षमता है, जिसे आमतौर पर जाना जाता है

एक लेखक की ऐंठन के रूप में-07.02.2018 पर, यूपीएससी ने एक अधिसूचना जारी की

सी. एस. ई. 2018 के लिए-डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी सी. एस. ई. नियम 2018 परीक्षा के तरीके और संचालन के लिए प्रदान करता है

निर्देश दिए गए हैं कि सभी उम्मीदवारों को अपने पर्चे लिखना होगा

उनका अपना हाथ है और उन्हें एक लेखक की मदद की अनुमति नहीं दी जाएगी-नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए इस नियम के अपवाद प्रदान किए गए थे;

लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवार जहां

" प्रमुख (लेखन) धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है

कार्य का प्रदर्शन (न्यूनतम 40 प्रतिशत हानि) "अपवाद के भीतर उम्मीदवारों को एक लिपिक की मदद की अनुमति थी

अपीलार्थी ने सी. एस. ई. 2018 के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन में खुद को 40 प्रतिशत या उससे अधिक की बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति घोषित किया और

यू. पी. एस. सी. ने उनसे परीक्षा के लिए एक लिपिक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया

आवेदन यू. पी. एस. सी. द्वारा खारिज कर दिया गया था-पीड़ित, अपीलार्थी

- न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया गया-न्यायाधिकरण ने आवेदन को खारिज कर दिया और यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी ने मानदंडों को पूरा नहीं किया-अपीलार्थी ने दायर किया

रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया न्यायाधिकरण का इस आधार पर कि अपीलार्थी योग्य नहीं था

विशिष्ट विकलांग उम्मीदवारों को अक्षम घोषित किया गया था - सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

अपीलार्थी की स्थिति का मूल्यांकन करें-एम्स, अपनी रिपोर्ट के अनुसार

कि अपीलार्थी एक "पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति" से पीड़ित है

हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि वे "बेंचमार्क डिसेबिलिटी" से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि वे एक "बेंचमार्क डिसेबिलिटी" से पीड़ित हैं।

12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के तहत विकलांग व्यक्ति है -

अक्षमता की सीमा का आकलन 6 प्रतिशत पर किया जाता है-आयोजित: दिशा-निर्देश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 29.08.2018 केवल उम्मीदवारों के लिए एक लिपिक की पात्रता को मान्यता देता है

बेंचमार्क अक्षमता-29.08.2018 पर बनाए गए दिशानिर्देशों को किसी भी तरह से उन स्थितियों का संपूर्ण नहीं माना जा सकता है जिनमें एक व्यक्ति द्वारा एक लेखक का लाभ उठाया जा सकता है। बेंचमार्क अक्षमताओं से पीड़ित लोगों के अलावा-वे अधिकार जो एस जैसे प्रावधानों से उत्पन्न होते हैं। 3 एस द्वारा व्यापक रूप से परिभाषित विकलांग व्यक्तियों तक विस्तारित। 2 (एस)-एक लेखक की सुविधा को केवल उन लोगों के लिए सीमित करना जिनके पास बेंचमार्क विकलांगता है

व्यक्तियों के एक वर्ग को उनके सांविधिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों से वंचित करना-ऐसा करना साधारण शर्तों के साथ-साथ क़ानून के उद्देश्य के विपरीत होगा-तत्काल मामले में, अपीलार्थी की स्थिति को कई चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बार-बार पुष्टि की गई थी, जिनमें शामिल हैं -

निमहान्स और एम्स-अपीलार्थी को एक निर्दिष्ट अक्षमता है।

क्योंकि उसे एक पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति है-यह स्थिति

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की अनुसूची की प्रविष्टि IV का हिस्सा-लेखक की ऐंठन को क्रमिक रूप से एक ऐसी स्थिति पाया गया है जो

अपीलार्थी के लिए एक पारंपरिक परीक्षा लिखना मुश्किल हो गया है-वर्तमान जैसी स्थिति में एक लिपिक की सुविधा से इनकार करना उन मूल्यवान अधिकारों और अधिकारों को नकार देगा जो

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा मान्यता प्राप्त हैं-एक लिपिक की सुविधा के हकदार अपीलार्थी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश और निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016। 2 (आर), 2 (एस), 2 (वाई), 3 और 56-बेंचमार्क विकलांगता प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है एक लेखक-आयोजितः एक बेंचमार्क विकलांगता की पूरी अवधारणा

एस का अर्थ। 2 (आर) मुख्य रूप से आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है जो आर. पी. डब्ल्यू. डी. के अध्याय VI में सन्निहित हैं।

अधिनियम 2016 संभवतः, संसद ने सरकारी प्रतिष्ठानों में पदों और सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करते हुए

उच्च शिक्षा संस्थानों का विचार था कि इस अधिकार को मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए-विधायी नीति के एक मामले के रूप में, अध्याय VI के इन प्रावधानों को मानक विकलांग लोगों के लिए लागू किया गया है जहां विकलांगता की एक उच्च सीमा निर्धारित की गई है-उन अधिकारों और अधिकारों को समाहित करना जो विकलांग व्यक्तियों के साथ विकलांग व्यक्तियों में निहित हैं।

मानक अक्षमताओं की धारणा स्वास्थ्यवर्धक विकास कुमार बनाम की सेवा नहीं करती है।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अधिनियमन का अंतर्निहित उद्देश्य-इनकार करना

भारत का संविधान-कला। 14 , 19 और 21-विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016-आयोजितः कला का स्वर्ण त्रिकोण। 14 , 19 और 21 विकलांगों पर पूरी ताकत और जोश के साथ लागू होता है-धारा 3 कला में सन्निहित संवैधानिक अधिकारों की वैधानिक मान्यता है।

14 , 19 और 21 संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के बीच-धारा 3 सरकार पर यह सुनिश्चित करने का एक सकारात्मक दायित्व डालती है कि विकलांग व्यक्ति (i) समानता का अधिकार; (ii) गरिमा के साथ जीवन; और (iii) दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता का सम्मान करें।

सिद्धांत/सिद्धांत-उचित आवास का सिद्धांत

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार-आयोजित: का सिद्धांत

उचित समायोजन व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है।

विकलांगों में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए

समाज-एस में उचित आवास की अवधारणा। 2 (y) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में "आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन" करना शामिल है, जब तक कि वे किसी विशेष मामले में असमान या अनुचित बोझ नहीं डालते हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

भेदभाव और गरिमा सुरक्षात्मक दायरे का सार है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016-निर्माण

विकलांग व्यक्तियों के लिए लेखकों तक पहुंच से संबंधित नई नीति-आयोजित: केंद्र सरकार को जारी किया गया निर्देश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उचित दिशा-निर्देश तैयार करना सुनिश्चित करेगा जो विनियमन और सुविधा प्रदान करेगा

एस के अर्थ के भीतर विकलांग व्यक्तियों को एक लिपिक की सुविधा का अनुदान। 2 (एस) जहां विकलांगता की प्रकृति परीक्षा लिखने वाले उम्मीदवार को बाधा डालने के लिए काम करती है-यह था

विकलांग व्यक्तियों से परामर्श करने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का भी निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. कानूनी ढांचा

1.1 ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एम. एस. जे. ई.) के दिशा-निर्देश दिनांक 29 अगस्त 2018 केवल बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए एक लेखक की पात्रता को मान्यता देता है। उनमें से, तीन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों-नेत्रहीन और लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों-को यदि वांछित हो तो सुविधा दी जानी चाहिए। अन्य मानक विकलांग उम्मीदवारों के मामले में, ऐसी सुविधा एक प्रमाण पत्र पर दी जानी है। [पैरा 20] [336-डी-ई]

2. दो सरकारी मंत्रालय: एक नीति डिस्कनेक्ट करें

2.2 एमएसजेई एक नोडल मंत्रालय है जिसे व्यक्तियों के अधिकारों के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। विकलांग अधिनियम, 2016। नोडल मंत्रालय के रूप में, इसने 29 अगस्त 2018 को दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश, जैसा कि देखा गया है, धारा 2 (आर) के अर्थ के भीतर बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए एक लेखक, पाठक या प्रयोगशाला सहायक तक पहुंच को सीमित करते हैं। फिर भी, नोडल मंत्रालय के रूप में, यह मानता है कि ये दिशानिर्देश उन परिस्थितियों या शर्तों के बारे में संपूर्ण नहीं हैं जिनमें एक लेखक प्रदान किया जा सकता है। इसके विपरीत, एम. एस. जे. ई. ने अन्य चिकित्सा स्थितियों की व्यापकता को मान्यता दी है जिनकी पहचान नहीं की गई है।

अक्षमताएँ "लेकिन जो किसी व्यक्ति की लेखन क्षमता में बाधा डाल सकती हैं। यह विशेष रूप से प्रत्येक परीक्षा निकाय के लिए यह खुला छोड़ता है कि वह बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र के उत्पादन के खिलाफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से लेखक के अनुदान, अतिरिक्त समय या अन्य सुविधाओं के लिए ऐसे मामलों पर विचार करे। [पैरा 23] [338-ई-जी] विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस।

2.3 नोडल मंत्रालय का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से नहीं है

दूसरी ओर, यू. पी. एस. सी. जो सी. एस. ई. के संचालन के लिए डी. ओ. पी. टी. द्वारा निर्दिष्ट नियमों से बिना किसी विचलन के खुद को सख्ती से बाध्य मानता है। एम. एस. जे. ई. के विचारों के बावजूद, यू. पी. एस. सी. यह स्वीकार नहीं करता है कि 29 अगस्त 2018 के दिशा-निर्देश इसे प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान करते हैं।

मामले-दर-मामले के आधार पर आवास, दिशानिर्देशों में वर्णित लोगों से परे। मैदान को धारण करने वाले नियम 29 अगस्त 2018 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में हैं। इसलिए यूपीएससी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से कहा गया है कि एक उम्मीदवार जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के विवरण को पूरा नहीं

करता है, वह एक लिपिक का हकदार नहीं होगा। न्यायालय के समक्ष दो केंद्रीय मंत्रालयों के ये अलग-अलग विचार एक नीति के विच्छेद के लक्षण हैं। [पैरा 24] [339-ए-सी]

3. बेंचमार्क विकलांगता प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है

लेखक

3.1 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 दो अलग-अलग अवधारणाओं को मूर्त रूप देता है जब यह (i) 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों' और (ii) विकलांग व्यक्तियों की बात करता है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को परिभाषित करने में, धारा 2 (आर) में दो श्रेणियां शामिल हैं: ((i) एक व्यक्ति एक निर्दिष्ट अक्षमता के 40 प्रतिशत से कम के साथ, जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और

3.2 दूसरी अवधारणा जो धारा 2 (ओं) में सन्निहित है, वह विकलांग व्यक्ति की है। धारा 2 (ओं) के विपरीत धारा 2 (ओं) को किसी विनिर्दिष्ट अक्षमता की धारणा के साथ चिह्नित नहीं किया गया है या धारा 2 (आर) में परिभाषित मानक अक्षमता। संसद द्वारा धारा 2 (ओं) को व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है ताकि इसका अर्थ एक व्यक्ति [2021] 12 एस. सी. आर. हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि के साथ जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में पूरी तरह से बाधा डालती है

और समाज में दूसरों के साथ समान रूप से प्रभावी भागीदारी। [पैरा 26] [339-जी-एच]

3.3 धारा 2 (आर) के तहत एक बेंचमार्क विकलांगता की अवधारणा को धारा के तहत विकलांगता की धारणा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। 2 (एस)। धारा 2 (आर) में परिभाषा एक निर्दिष्ट विकलांगता के मामले में लागू होती है। अभिव्यक्ति 'निर्दिष्ट अक्षमता' को परिभाषित किया गया है

धारा 2 (जेड. सी.) का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट अक्षमताओं से है। [पैरा 29] [340-ई]

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अधिनियमन के अंतर्निहित हितकारी उद्देश्य की सेवा करता है। इससे भी बदतर, अधिकारों से इनकार करना और विकलांग व्यक्तियों के लिए इस आधार पर मान्यता प्राप्त अधिकार कि वे एक मानक विकलांगता को पूरा नहीं करते हैं, स्पष्ट रूप से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। [पैरा 31] [341-जी-एच]

4. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016: एक प्रतिमान

यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्ति (i) समानता का अधिकार; (ii) गरिमा के साथ जीवन; और (iii) दूसरों के साथ समान रूप से अपनी ईमानदारी का सम्मान करें। धारा 3 विधायिका के इरादे की एक सकारात्मक घोषणा है कि समानता और गैर-भेदभाव का मौलिक अभिधारणा विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है। एक बेंचमार्क विकलांगता की धारणा के साथ इसे बाधित किए बिना। धारा 3 संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 14,19 और 21 में सन्निहित संवैधानिक अधिकारों की वैधानिक मान्यता है। विकलांग व्यक्तियों की ओर से एक वैधानिक अधिकार और पात्रता को मान्यता देकर, धारा 3 लागू करने और उनकी पूर्ति को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है।

विकलांग व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार। [पैरा 33] [342-सी-ई]

4.2 उचित समायोजन का सिद्धांत विकास कुमार बनाम प्रदान करने के लिए राज्य और निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में आवास को अधिक व्यापक रूप से प्रकट किया गया है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 3 एक से परे जाती है अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पर सकारात्मक कर्तव्यों और दायित्वों को डालकर गैर-भेदभाव की औपचारिक गारंटी

धारा 3 में "उपयुक्त वातावरण प्रदान करके" विकलांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाकर मान्यता दी गई है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है। उचित की अवधारणा

दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का प्रयोग। समानता, गैर भेदभाव और गरिमा आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के सुरक्षात्मक दायरे का सार है। [पैरा 37] [345-ई-एच; 346-ए-बी]

4.4 जब सरकार आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत अपने सकारात्मक कर्तव्यों और दायित्वों को मान्यता देती है

सिविल सेवा परीक्षा के दौरान एक लिपिक को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रावधान, इसे एक उपहार प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है। न ही यह एक लिपिक को अनुमति देने से एक उम्मीदवार को विशेषाधिकार प्रदान करता है। एक लेखक की सुविधा का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक जनादेश के अनुसरण में है कि विकलांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता के लिए समाज में सम्मान के आधार पर समानता और गरिमा का जीवन जीने में सक्षम हैं। यू. पी. एस. ई./डी. ओ. पी. टी. की ओर से इस आधार पर कार्यवाही करने में एक मौलिक भ्रांति है कि एक लिपिक की सुविधा केवल मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एम. एस. जे. ई. द्वारा अपने दिशानिर्देशों को स्पष्ट

करने में विफलता के कारण ऐसा होता है। धारा 2 (आर) के अर्थ के भीतर एक बेंचमार्क विकलांगता की पूरी अवधारणा मुख्य रूप से आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है जो आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अध्याय VI में सन्निहित हैं।

संभवतः, संसद ने [2021] 12 एस. सी. आर. के आरक्षण को अनिवार्य करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकारी प्रतिष्ठानों में पदों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों का विचार था कि इस अधिकार को मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। एक मामले के रूप में

विधायी नीति के अध्याय VI के इन प्रावधानों को बेंचमार्क विकलांग लोगों पर लागू किया गया है जहां विकलांगता की उच्च सीमा निर्धारित की गई है। विशिष्ट वैधानिक संदर्भ को छोड़कर जहां बेंचमार्क विकलांगता के मानदंड को लागू किया गया है, यह स्पष्ट रूप से उन अधिकारों और अधिकारों को अस्वीकार करने के लिए अधिनियम के पाठ और इरादे दोनों के विपरीत होगा जिन्हें इस आधार पर विकलांग व्यक्तियों में विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है कि वे एक बेंचमार्क के लिए सीमा को पूरा नहीं करते हैं।

अक्षमता। एक वैधानिक अवधारणा जिसे संसद द्वारा विशिष्ट स्थितियों में लागू किया गया है, उसे अन्य लोगों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है जहां व्यापक अभिव्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों का उपयोग वैधानिक रूप से किया जाता है। 29 अगस्त 2018 को बनाए गए दिशा-निर्देशों को किसी भी तरह से उन स्थितियों का संपूर्ण नहीं माना जा सकता है जिनमें एक लेखक का अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।

उन लोगों की तुलना में जो मानक अक्षमताओं से पीड़ित हैं। एम. एस. जे. ई. ने इस न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में उन दिशानिर्देशों को उन परिस्थितियों के बारे में विस्तृत नहीं माना है जिनमें एक लेखक को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रदान किया जा सकता है। एमएसजेई की यह समझ इसके लिए सही है

सरल कारण यह है कि धारा 3 जैसे प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकार धारा 2 (ओं) द्वारा व्यापक रूप से परिभाषित विकलांग व्यक्तियों तक फैले हुए हैं। [पैरा 41] [348-ई-एच; 349-ए-डी]

4.5 इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि डी. ओ. पी. टी. और यू. पी. एस. सी. ने निर्माण में मौलिक रूप से गलती की है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों पर रखा गया है। एक लेखक की सुविधा केवल उन लोगों के लिए सीमित करना जिनके पास बेंचमार्क है

अक्षमताएँ व्यक्तियों के एक वर्ग को उनसे वंचित करना होगा

वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार। ऐसा करना साधारण शब्दों के साथ-साथ क़ानून के उद्देश्य के विपरीत होगा।

[पैरा 42] [349-डी-ई]

5. उचित आवास

5.1 अक्षमता के विशिष्ट संदर्भ में, उचित आवास का सिद्धांत यह मानता है कि ऐसी शर्तें जो विकलांगों को समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से बाहर रखें

समाज के सदस्यों को एक समायोजन समाज को रास्ता देना होगा-विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस।

जो अंतर को स्वीकार करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है और सुविधा प्रदान करता है

पारिवारिक जीवन की गोपनीयताएँ। वह आवास जो कानून द्वारा जनादेश 'उचित' है क्योंकि इसे विकलांगता की प्रत्येक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की जो अपेक्षाएँ होती हैं, वे अक्षमता की प्रकृति और बाधाओं के चरित्र के लिए अद्वितीय होती हैं।

इसके परिणाम के रूप में सामना किया। [पैरा 46] [350-जी; 351-ए-बी]

6. अपीलार्थी का मामला

6.1 जहाँ तक अपीलार्थी के मामले का संबंध है, उसकी स्थिति की बार-बार कई चिकित्सा संस्थानों द्वारा पुष्टि की गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सहित प्राधिकरण और

न्यूरो साइंसेज (निमहान्स), बैंगलोर और एम्स। एम्स की रिपोर्ट जो इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में थी, यह राय देने में स्पष्ट है कि अपीलार्थी को एक निर्दिष्ट अक्षमता है क्योंकि उसे एक पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति है। यह शर्त आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की अनुसूची की प्रविष्टि IV का हिस्सा है। लेखक की ऐंठन को क्रमिक रूप से एक ऐसी स्थिति पाया गया है जो अपीलार्थी की है, जिससे उसके लिए एक पारंपरिक परीक्षा लिखना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान जैसी स्थिति में एक लेखक की सुविधा से इनकार करना उन मूल्यवान अधिकारों और अधिकारों को नकार देगा जिन्हें आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा मान्यता प्राप्त है। [पैरा 73] [361-ई-एफ]

6.2 अतः यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है और घोषणा करता है कि अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक लिपिक की सुविधा का हकदार होगा। सिविल सेवा परीक्षा और सरकार के अधिकार के तहत आयोजित कोई अन्य प्रतियोगी चयन। [पैरा 74]

[361 - जी]

7. विकलांग व्यक्तियों के लिए लेखकों तक पहुंच से संबंधित नई नीति का निर्माण 7.1 [2021] 12 एस. सी. आर. सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्र सरकार को एक व्यापक निर्देश जारी किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर विकलांग व्यक्तियों को एक लिपिक की सुविधा का अनुदान जहां अक्षमता की प्रकृति उम्मीदवार को लिखने में बाधा डालने के लिए कार्य करती है जाँच। प्रक्रियाओं को तैयार करने में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित मानदंड निर्धारित कर सकता है कि उम्मीदवार की स्थिति को ऐसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए जो निर्धारित किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक उम्मीदवार जिन्हें सुविधा की आवश्यकता है वे इसका लाभ उठा सकें। [पैरा 75] [361-एच; 362-ए-सी]

जीजा घोष बनाम। भारत संघ (2016) 7 एससीसी 761:

[2016] 4 एस. सी. आर. 638; न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे

फाउंडेशन वी। भारत संघ (2018) 2 एस. सी. सी. 397; भारत संघ बनाम। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (2013) 10 एससीसी 772 [2013] 9 एससीआर 1023; सैयद बशीर-उद-दीन कादरी बनाम। नजीर अहमद शाह (2010) 3 एस. सी. सी. 603: [2010] 3 एस. सी. आर. 250-पर निर्भर। वी. सुरेंद्र मोहन बनाम। तमिलनाडु राज्य (मोहन) (2019) 4 एस. सी. सी. 237: [2019] 1 एस. सी. आर. 954-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 4 एससीआर 638

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

(2018) 2 एस. सी. सी. 397

उस पर भरोसा करें

पैरा 35

[2013] 9 एससीआर 1023

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[2010] 3 एससीआर 250

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

[2019] 1 एससीआर 954

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 273

2021 .

उच्च न्यायालय के 25.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की लिखित याचिका संख्या 9942 में नई दिल्ली में।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, राजन मणि, सुश्री रितु कुमार,

पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा एनजी। , करूण शर्मा, गोपाल झा, ए. के. कौल, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री निधि खन्ना, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, नरेश कौशिक, श्रीमती ललिता कौशिक, सुश्री संचिता ऐन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

एच कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय उनके द्वारा दिया गया था

आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

कोर्स रन: न्यायाधिकरण और दिल्ली का उच्च न्यायालय

ये कार्यवाहियाँ

सी. 2 यूपीएससी के तर्क सी. 3. भारत संघ के तर्क

दो सरकारी मंत्रालय: एक नीति डिस्कनेक्ट करें बेंचमार्क अक्षमता प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है

लेखक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016: एक प्रतिमान

स्थानांतरण

जी1-एक संवैधानिक सदस्य की वैधानिक अभिव्यक्ति 2016 अधिनियम की जी2 योजना

उचित आवास दुरुपयोग का तर्क

हमारे प्रवचन की भाषा

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की परिवर्तनकारी क्षमता को महसूस करना: सिद्धांत से लेकर

अभ्यास करें

अपीलार्थी का मामला लेखकों तक पहुंच से संबंधित नई नीति का निर्माण

आई.

विकलांग व्यक्तियों के लिए

सारांश में

. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

एक नागरिक जो एक लेखक की ऐंठन से पीड़ित है, उसने यात्रा की है। शिकायत यह है कि उन्हें सिविल [2021] 12 एस. सी. आर. में एक लिपिक से वंचित कर दिया गया था।

सेवाओं की परीक्षा 1. यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से चला है।

एक व्यक्तिगत शिकायत के रूप में प्रणाली। लेकिन इसकी रूपरेखा उन व्यक्तियों के एक पूरे वर्ग की आकांक्षाओं के संकेत प्रस्तुत करती है जिनकी दैनिक व्यस्तता है।

शारीरिक अक्षमता गरिमा के लिए उनकी निरंतर खोज को परिभाषित करती है। कानूनों, नियमों और विनियमों की भूलभुलैया के माध्यम से, यह मामला समान अवसर की वास्तविक प्राप्ति और विकलांगों तक पहुंच के बारे में मुख्य मुद्दों को उठाता है। यह परीक्षण करता है कि कानून क्या कहता है और उसके आदर्शों को कैसे साकार किया जाता है। द.

हमारे विमर्श की भाषा को, जितना इसका परिणाम होना चाहिए, उतना ही उस मार्ग पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए जो हमारा समाज पार कर चुका है और जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं।

2. यह अपील सिविल सेवा परीक्षा नियम 2018 2 दिनांक 7 फरवरी 2018 के इंटरफेस पर बदल जाती है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 3.

3. अपीलार्थी को डिस्ग्राफिया के रूप में अक्षमता होती है, जिसे आमतौर पर लेखक की ऐंठन के रूप में जाना जाता है। अगस्त 2016 में, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू डाक संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री के साथ स्नातक किया। ग्रेजुएट मेडिकल इंस्ट्रक्शन एंड रिसर्च, जिसे जे. आई. पी. एम. ई. आर. संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। सिविल सेवाओं में अपना करियर बनाने के इरादे से, वह 2017 में सी. एस. ई. के लिए उपस्थित हुए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने में सक्षम बनाने के लिए एक लिपिक प्रदान किया गया था। सी. एस. ई. 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अपीलार्थी ने एक लिपिक की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को लोकोमोटर विकलांग व्यक्ति घोषित किया। 7 फरवरी 2018 को, यूपीएससी ने सीएसई 20185 के लिए एक अधिसूचना जारी की। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने परीक्षा के तरीके और संचालन के लिए सी. एस. ई. नियम 2018 जारी किए। सामान्य निर्देशों में प्रावधान किया गया था कि सभी उम्मीदवारों को अपने कागजात अपने हाथ से लिखने चाहिए और उन्हें एक लिपिक की मदद की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपवाद

नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए इस नियम का प्रावधान किया गया था; लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवार जहां प्रमुख (लेखन) कार्य के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है (न्यूनतम 40 प्रतिशत)

1 " सी. एस. ई "

2 " सी. एस. ई. नियम 2018

3 " आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016

4 " यूपीएससी " 5 " सी. एस. ई. अधिसूचना 2018

6 " डीओपीटी "विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

4. सी. एस. ई. 2018 के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन में, अपीलार्थी ने खुद को 40 प्रतिशत या उससे अधिक की बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति घोषित किया। के द्वारा 28 फरवरी 2018 के अपने ईमेल में, अपीलार्थी ने यूपीएससी से उन्हें परीक्षा के लिए एक लिपिक प्रदान करने का अनुरोध किया। यू. पी. एस. सी. ने 15 मार्च 2018 को अपने पत्र में इस आधार पर अनुरोध को खारिज कर दिया कि एक लेखक केवल नेत्रहीन उम्मीदवारों और कम से कम 40 प्रतिशत की हानि वाले लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों को प्रदान किया जा सकता है और अपीलकर्ता इस मानदंड को पूरा नहीं करता है।

5. अपीलार्थी ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन के लिए उपस्थित होने का भी अनुरोध किया

2017 यू. पी. एस. सी. के तत्वावधान में आयोजित। अक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से संपर्क किया। 12 फरवरी 2018 को एक संचार द्वारा, उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। इसके कारण अपीलार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक चुनौती पेश की, जहां मामला अभी भी लंबित है।

न्यायनिर्णयन।

B. पाठ्यक्रम चलता है: न्यायाधिकरण और दिल्ली का उच्च न्यायालय

6. सी. एस. ई. 2018 के लिए एक लिपिक की सेवाओं से इनकार से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण का रुख किया। दिनांक 30 के एक अंतरिम आदेश द्वारा

मई 2018 में, न्यायाधिकरण ने यू. पी. एस. सी. को निर्देश दिया कि वह उन्हें एक लिपिक प्रदान करे ताकि वे प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हो सकें। परिणाम 14 जुलाई 2018 को प्रकाशित किए गए थे, लेकिन अपीलार्थी के परिणाम को रोक दिया गया था। 7 अगस्त 2018 के एक फैसले से न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राम मनोहर लोहिया के कारण

अस्पताल ने अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया था, अपीलकर्ता एक विकलांग उम्मीदवार के रूप में एक लेखक तक पहुंच का दावा नहीं कर सकता था। न्यायाधिकरण ने यह भी नोट किया कि अपीलार्थी ने सी. एस. ई. 2017 में या अपनी एम. बी. बी. एस. स्नातक परीक्षाओं के दौरान एक लिपिक की सुविधा का दावा नहीं किया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि सी. एस. ई. अधिसूचना 2018 के पैरा 5 में, यू. पी. एस. सी. ने एक लिपिक के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन यह नेत्रहीन उम्मीदवारों और लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों तक सीमित

है, जहां न्यूनतम 40 प्रतिशत हानि मौजूद है। अपीलार्थी को मानदंड पूरा नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। द.

न्यायाधिकरण ने 22 मार्च 2015 को जारी किए गए प्रमाण पत्र को भी खारिज कर दिया।

कि यह अक्षमता की सीमा का उल्लेख करने में विफल रहा। अंत में, न्यायाधिकरण ने सी. एस. ई. अधिसूचना 2018 में संशोधन करने के लिए यू. पी. एस. सी. को निर्देश देने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना की स्थिरता पर सवाल उठाया। चूंकि राहत नीतिगत मामलों पर कार्यपालिका को सलाह देने के दायरे में थी, इसलिए न्यायाधिकरण ने मामले में हस्तक्षेप करने से परहेज किया।

7. अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और सी. एस. ई. नियम 2018 की वैधता को चुनौती दी। इस बीच उन्होंने

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एन. आई. एम. एच. ए. एन. एस.), बैंगलोर से 27 अगस्त 2018 को एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

8. दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 25 सितंबर 2018 के एक आदेश द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आधार पर कि अपीलार्थी ने सी. एस. ई. 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की थी और इस प्रकार, सी. एस. ई. नियम 2018 में संशोधन की मांग करते हुए राहत दी गई है ताकि उम्मीदवारों को विशिष्ट योग्यता वाले लेखक उपलब्ध कराए जा सकें।

अक्षमताओं को अक्षम बना दिया गया था। अपीलार्थी को भविष्य में न्यायाधिकरण के समक्ष एक और आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई है।

C. ये कार्यवाहियाँ

9. कार्यवाही के दौरान, 16 जनवरी 2020 के एक आदेश द्वारा, हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश दिया कि अपीलार्थी की स्थिति का मूल्यांकन करने और (i) क्या वह आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) और धारा 2 (जेड. सी.) के अर्थ के भीतर एक बेंचमार्क

विकलांगता से पीड़ित है; और (ii) क्या वह आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) के तहत 'विकलांग व्यक्ति' है और विकलांगता की सीमा पर अपनी राय देने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करना। एम्स, इसके द्वारा

10 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपीलकर्ता एक "पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति" से पीड़ित है जिसे द्विपक्षीय लेखक की ऐंठन कहा जाता है। हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि हालाँकि वह "बेंचमार्क विकलांगता" से पीड़ित नहीं है, लेकिन अपीलकर्ता आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के तहत "विकलांग व्यक्ति" है। अक्षमता की सीमा 6 प्रतिशत आंकी गई है।

C. 1 अपीलार्थी के तर्क

10. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री राजन मणि ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

8 " एम्स के कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अक्षमता का अर्थ है दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी हानि वाला व्यक्ति, जो समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है। ये प्रमाण पत्र साबित करें कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 2 (ओं) के तहत आता है

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की अनुसूची की प्रविष्टि 2 (ए) में सूचीबद्ध। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी 2018 की अधिसूचना में डिस्ग्राफिया की विशिष्ट सीखने की अक्षमता को भी मान्यता दी गई है।

सी. एस. ई. नियम 2018 और सी. एस. ई. अधिसूचना 2018 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 20 का उल्लंघन करते हैं। धारा 20 के तहत, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को विकलांग कर्मचारियों को "उचित आवास" और अनुकूल वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। “ धारा 2 (वाई) में परिभाषित "उचित समायोजन" का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन है कि विकलांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें। लेखकों का प्रावधान और

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के तहत प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक उचित आवास अपीलार्थी जैसे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के दौरान प्रतिपूरक समय है। सी. एस. ई. नियम 2018 और सी. एस. ई. अधिसूचना 2018 संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) और आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे केवल उन उम्मीदवारों के लिए लेखकों का प्रावधान करते हैं जो अंधे हैं, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं। सी. एस. ई. नियम 2018 में,

सभी विकलांग व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और

उन्हें आयु में छूट भी प्रदान की जाती है, जिसमें सीखने की अक्षमता से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। हालांकि, लेखकों का प्रावधान कुछ उम्मीदवारों तक ही सीमित है। सी. एस. ई. नियम 2018 यह मान्यता देने में विफल रहे हैं कि जैसे व्यक्ति

लेखक की ऐंठन वाले अपीलार्थी को [2021] 12 एस. सी. आर. लिखने में कठिनाई होती है।

उनके अपने हाथ में और इस प्रकार, एक लिपिक के समान सुविधा प्रदान की जानी चाहिए; भारत में अन्य संस्थान, जैसे कि इंस्टीटचूट ऑफ चार्टर्ड

vi.

लेखकों के साथ प्रदान किया गया; 21 मार्च 2015 और 27 अगस्त के चिकित्सा प्रमाण पत्र

vii

2018 यह इंगित करता है कि अपीलार्थी अधिनियम के तहत "विकलांग व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, अक्षमता प्रमाण पत्र के बिना भी, अपीलार्थी को प्रदान किया जाना चाहिए

एक लेखक की सुविधा;

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 व्यक्तियों के बीच अंतर करता है।

viii

रोजगार और उच्चतर में आरक्षण के प्रावधान शिक्षा. हालांकि, अधिनियम की धारा 20 सभी विकलांग व्यक्तियों पर लागू होती है और यह बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार, अक्षमता प्रमाण पत्र के बिना भी, अपीलकर्ता एक लिपिक के प्रावधान जैसे उचित समायोजन के उपायों का हकदार होगा।

व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए; और

द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 6 प्रतिशत की अक्षमता की सीमा

ix

एम्स का मेडिकल बोर्ड उनकी सीमा से संबंधित है।

एक पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति और खुद को या वस्तुओं को स्थानांतरित करने में असमर्थता के कारण लोकोमोटर विकलांगता। मूल्यांकन याचिकाकर्ता की लेखन क्षमता से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, चिकित्सा रिपोर्ट पूर्व चिकित्सा प्रमाणपत्रों की पुष्टि करती है।

अपीलार्थी को जारी किया जाता है और प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी लेखक की ऐंठन से पीड़ित है जिससे लिखने में कठिनाई होती है।

सी. 2 यूपीएससी के तर्क

11. श्री नरेश कौशिक, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

पी. एस. सी. ने प्रस्तुत किया है कि:

आई।

अपीलार्थी की पात्रता से संबंधित मुद्दा सी. एस. ई. 2018 लिखने के लिए एक लेखक की सुविधा एच. कुमार बनाम द्वारा नियंत्रित है।

संघ लोक सेवा आयोग का। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डीओपीटी द्वारा बनाए गए नियम। सी. एस. ई. नियम 2018 के अनुसार, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को यदि वांछित हो तो एक लिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। मानक अक्षमता वाले व्यक्तियों के मामले में, एक सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर एक लेखक की सुविधा इस प्रभाव से प्रदान की जाती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने और लिखने की शारीरिक सीमा है।

परीक्षा लिखने के लिए एक लिपिक आवश्यक है

उम्मीदवार की ओर से;

अपीलार्थी ने सी. एस. ई. 2018 के लिए अपने आवेदन में यह घोषणा करते हुए गलत घोषणा की थी कि वह निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित है; और

अपीलार्थी सी. एस. ई. नियम 2018 की वैधता को चुनौती देने में विफल रहा है और उसने केवल सी. एस. ई. की धारा 20 के तहत दावा किया है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016

3. भारत संघ के तर्क

2. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,

भारत संघ के लिए जी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

एम. एस. जे. ई. के अनुसार, लेखक की ऐंठन एक विकलांगता नहीं है, लेकिन लेखक की ऐंठन से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षाओं के संचालन पर 26 फरवरी 2013 के दिशा-निर्देश, जो प्रदान करते हैं कि एक लेखक की सुविधा केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। इन दिशानिर्देशों को 29 अगस्त 2018 को संशोधित किया गया था जो अंधेपन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित उम्मीदवारों की श्रेणी में लेखकों और अन्य व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करता है। बेंचमार्क अक्षमता के साथ, एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रमाणित करता है कि लिखने के लिए एक शारीरिक सीमा है और उम्मीदवार के निर्देश पर परीक्षा लिखने के लिए एक लेखक आवश्यक है;

लेखक की ऐंठन विशेष रूप से सूची में शामिल नहीं है

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट अक्षमताएँ। इस प्रकार, 29 अगस्त 2018 के दिशा-निर्देश राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, कई

ऐसी चिकित्सीय स्थितियाँ जो लेखन क्षमता में बाधा डाल सकती हैं

विकलांग के रूप में पहचाना नहीं गया है। इन उदाहरणों में, जाँच निकाय को ऐसे मामलों पर विचार करना होगा

उम्मीदवार और क्या लेखकों की सुविधाएँ और

क्षतिपूर्ति के लिए समय दिया जाना चाहिए।

: ई विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी समाज सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं का एक पूरा समूह उपलब्ध है-सार्वजनिक परिवहन पर सीटें, रैंप सुविधाएं और शौचालय। शैक्षणिक संस्थानों में विशिष्ट उपाय किए जाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। अक्षमता का प्रतिशत इन संदर्भों में प्रासंगिक नहीं है। हालांकि, विभिन्न विचार प्रतिस्पर्धा में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान को नियंत्रित करते हैं।

परीक्षाएँ;

उपरोक्त [iii] के विस्तार के रूप में, सी. एस. ई. द्वारा संचालित

iv.

यूपीएससी एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। जबकि बेंचमार्क विकलांगता सीमा से नीचे के उम्मीदवार खेल के मैदान को समतल करने के लिए लेखकों की सुविधा के योग्य हो सकते हैं, इस सुविधा के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकृति की प्रतियोगी परीक्षा में, परीक्षा की शुद्धता

इसे संरक्षित किया जाना चाहिए; और

जहाँ तक अपीलार्थी के मामले का संबंध है, एक नया चिकित्सा

वी.

जाँच आयोजित की जानी चाहिए, विशेष रूप से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उसकी अक्षमता ऐसी है कि एक लेखक की आवश्यकता है।

D. कानूनी ढांचा

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में डीओपीटी। 14. 7 फरवरी 2018 को मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सी. एस. ई. के संचालन के लिए नियम निर्धारित किए गए थे।

2018 में यूपीएससी। अधिसूचना में परीक्षा के संचालन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें परिशिष्ट-I की धारा 1 है जिसमें 'परीक्षा की योजना' शामिल है और धारा 2 में 'प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए विषय' का प्रावधान है। इसके बाद सिविल सेवाओं के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संचालन के लिए 'सामान्य निर्देश' दिए जाते हैं। जहाँ तक सामग्री की बात है, सामान्य निर्देशों में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" सामान्य निर्देश {प्रारंभिक और मुख्य

जाँच): (i)
उम्मीदवारों को अपने हाथों से पेपर लिखना चाहिए। नहीं में।

क्या परिस्थितियों में उन्हें लिखने के लिए एक लेखक की मदद ली जाएगी?

उनके लिए जवाब। हालांकि, नेत्रहीन उम्मीदवार और उम्मीदवार

लोकोमोटर डिसएबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी के साथ जहां प्रमुख है

(लेखन) चरम सीमा को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित किया जाता है

कार्य का प्रदर्शन (न्यूनतम 40 प्रतिशत हानि) होगा

दोनों में एक लिपिक की मदद से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई

सिविल सेवा (प्रारंभिक) के साथ-साथ सिविल सेवा में

(मुख्य) परीक्षा। (ii) बीस
मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय होगा

नेत्रहीन उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के लिए अनुमति लोकोमोटर अक्षमता और सेरेब्रल पाल्सी जहां प्रमुख है (लेखन)

चरम सीमा के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है एफ. एल., एम. सी. एन. (न्यूनतम 40 प्रतिशत हानि) दोनों सिविल सेवाओं में

(प्रारंभिक) के साथ-साथ सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में भी।

इन नियमों को 2019 में संशोधित किया गया है। इसके अलावा

अधिसूचना जो यूपीएससी द्वारा जारी की गई है, ऐसे दिशानिर्देश हैं जो एमएसजेई द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग में निर्धारित किए गए हैं। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 जनवरी 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई है। धारा 56 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के अध्याय X में शामिल है जिसका शीर्षक "निर्दिष्ट विकलांगों का प्रमाणन" है। धारा 56 में प्रावधान है कि:

" 56.निर्दिष्ट अक्षमताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश।

-

केन्द्र सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करेगी -

किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट अक्षमता की सीमा का आकलन करना।

15. इस प्रकार, दिशानिर्देश जो 4 जनवरी को अधिसूचित किए गए हैं

2018 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्ति से उनकी उत्पत्ति का पता लगाएं। अपने प्रारंभिक पाठ में, दिशानिर्देशों में दर्ज किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने "विभिन्न निर्दिष्ट विकलांगों द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए" इन दिशानिर्देशों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित श्रेणियों से निपटने के लिए आठ उप-समितियों का गठन किया:

" (i) लोकोमोटर अक्षमता;

((ख) दृष्टि दोष;

(iii)

श्रवण हानि;

((iv) पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ;

(v) रक्त संबंधी विकारों से प्रभावित व्यक्ति;

विकास संबंधी विकार;

(vi)

((vii) मानसिक बीमारी; और (viii) कई प्रकार की अक्षमताएँ;

विशेषज्ञ समिति के विचार-विमर्श के बाद, दिशानिर्देश एस. ओ. 76 (ई) के रूप में अधिसूचित किए गए। जहाँ तक सामग्री की बात है, रेखाएँ निर्धारित करती हैं कि:

" इसलिए, अब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केंद्र सरकार इसके लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित करती है

निम्नलिखित निर्दिष्ट अक्षमताओं की सीमा का आकलन करने का उद्देश्य

अनुलग्नक में दी गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों पर विचार करने के बाद किसी व्यक्ति में

II, अर्थात्:

सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग सहित लोकोमोटर अक्षमता का इलाज,

आई.

बौनापन, एसिड हमले के शिकार और पेशीय विकृति;

अंधापन और कम दृष्टि;

II.

बधिर और सुनने में कठिनाई और बोलने और भाषा की अक्षमता;

III.

बौद्धिक अक्षमता और विशिष्ट सीखने की अक्षमताएँ;

IV.

मानसिक रोग;

वी. VI.

पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ;

VII. हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग; और

VIII. अनेक अक्षमताएँ।

2. अनुलग्नक II में अक्षमताओं का आकलन करने के उद्देश्य से उक्त दिशानिर्देश विभिन्न अक्षमताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों और सरकार द्वारा प्रमाणन के लिए प्रक्रिया का स्थान लेंगे। भारत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचना आशा कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संख्या 16-18/97-NI I. दिनांक 1 जून 2001 और भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16-18/97-NI दिनांक 18 फरवरी 2002 के माध्यम से मानसिक बीमारी के मूल्यांकन और मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश, सिवाय उन चीजों के जो इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई थीं या छोड़ी गई थीं।

ध्यान दें: - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 57 के संदर्भ में, राज्य सरकारें या जैसा भी मामला हो, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक नामित करेंगे। प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के रूप में अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जो विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम होंगे और उस अधिकार क्षेत्र को भी अधिसूचित करेंगे जिसके भीतर और शर्तें

और ऐसी शर्तें जिनके अधीन प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी

अपने प्रमाणन कार्यों को पूरा करें। ध्यान दें: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी होंगे जहां परिभाषाओं या वर्गीकरणों की व्याख्या से संबंधित मामलों में कोई विवाद या संदेह उत्पन्न होता है।

या उक्त दिशानिर्देशों के संबंध में मूल्यांकन प्रक्रिया।

16. अधिसूचना के अनुलग्नक-II में दिए गए दिशा-निर्देशों में चलने-फिरने की अक्षमता सहित विभिन्न प्रकार की अक्षमताएँ शामिल हैं। कुछ प्रासंगिक

उपरोक्त शीर्ष के नीचे सायन नीचे निकाले गए हैं:

" 1.1 . स्थायी शारीरिक अक्षमता के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

(पी. पी. आई.) ऊपरी चरम सीमाओं का

(क) अनुमान और माप तब किया जाएगा जब नैदानिक स्थिति चिकित्सा उपचार से अधिकतम सुधार के चरण में पहुँच जाए। आम तौर पर समय अवधि चिकित्सा चिकित्सक द्वारा तय की जानी है जो है

प्रमाण पत्र के मानक प्रारूप के अनुसार पी. पी. आई. प्रमाण पत्र जारी करने के मामले का मूल्यांकन करना।

ऊपरी छोर को दो घटक भागों में विभाजित किया गया है;

(ख)

भुजा घटक और हाथ घटक।

भुजा घटक के कार्य के नुकसान का मापन

((ग)

गति, मांसपेशियों की सीमा के नुकसान को मापना शामिल है

शक्ति और समन्वित गतिविधियाँ [2021] 12 एस. सी. आर.

हाथ घटक के कार्य के नुकसान के मापन में शामिल हैं

((घ)

प्रीहेंशन, संवेदना और शक्ति का निर्धारण करना। प्रीहेंशन विरोध के आकलन के लिए, पार्श्व पिंच, बेलनाकार पकड़, गोलाकार पकड़ और हुक पकड़ का आकलन किया जाना चाहिए।

(ई)

पूरे छोर की हानि इस पर निर्भर करती है कि

दोनों घटकों की हानि का संयोजन।

(च)

कुल अक्षमता% 100% से अधिक नहीं होगी।

अक्षमता को पूर्ण संख्या के रूप में प्रमाणित किया जाना है न कि एक के रूप में

(जी)

अंश।

(ज) उस ऊपरी छोर के संबंध में विकलांगता को प्रमाणित किया जाना है।

1.2. 1 . ए. आर. एम. (ए. पी. पी. ई. एक्सट्रेमिटी) कम्पोनेन्ट

भुजा घटक का कुल मूल्य 90 प्रतिशत है।

1.2. 2 . गति की सीमा (रोम) के मूल्यांकन के सिद्धांत

जोड़ों

भुजा घटक में अधिकतम रॉम का मूल्य 90 प्रतिशत है।

(अ)

तीन जोड़ों में से प्रत्येक अर्थात कंधे, कोहनी और कलाई घटक

(ख)

पहले इसका वजन समान था-30 प्रतिशत। हालांकि, कार्यात्मक

कंधे-20 प्रतिशत तक, कोहनी-20 प्रतिशत तक, कलाई-10 प्रतिशत तक, और हाथ-40 प्रतिशत तक, भागीदारी की सीमा पर निर्भर करता है (हल्का-1/3 से कम, मध्यम-2/3 तक, या गंभीर-लगभग कुल)। यदि ऊपरी छोर के एक से अधिक जोड़ हैं प्रत्येक जोड़ में प्रतिशत की हानि की गणना ऊपर के रूप में अलग से की जाती है और फिर एक साथ जोड़ा जाता है।

1.2. 3 . मांसपेशियों की ताकत के मूल्यांकन के सिद्धांत:

मांसपेशियों की शक्ति का परीक्षण हाथ से किया जा सकता है और

(अ)

चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित 0 से 5 तक श्रेणीबद्ध किया गया (एम. आर. सी.), लंदन, यू. के. मांसपेशियों की ताकत के आधार पर (परिशिष्ट-I)।

(ख)

मांसपेशियों की शक्ति के नुकसान को निम्नानुसार प्रतिशत दिया जा सकता है:

एक के आसपास मांसपेशियों की ताकत के नुकसान का औसत प्रतिशत

((i)

जोड़ को 0:30 से गुणा किया जाता है।

आशा कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ख)

यदि मांसपेशियों की ताकत के नुकसान में एक से अधिक जोड़ शामिल हैं

प्रत्येक जोड़ में प्रतिशत की औसत हानि की गणना अलग से की जाती है और फिर एक साथ जोड़ा जाता है जैसा कि हानि के लिए वर्णित किया गया है

गति।

1.2. 4 . समन्वित गतिविधियों के मूल्यांकन के सिद्धांत:

(क) समन्वित गतिविधियों का कुल मूल्य 90 प्रतिशत है। (ख)

दस अलग-अलग समन्वित गतिविधियों का परीक्षण किया जाना चाहिए।

फॉर्म ए में। (परिशिष्ट II। ऊपरी के लिए मूल्यांकन प्रारूप चरम सीमा)

प्रत्येक गतिविधि का मूल्य 9 प्रतिशत है।

((ग)

(घ) संदर्भ के लिए विभिन्न जोड़ों की औसत सामान्य सीमा है

परिशिष्ट बीमार ",

17. खंड ई में पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियों के लिए लोकोमोटर विकलांगता का मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। के लिए चिकित्सा प्राधिकरण

लोकोमोटर अक्षमता में निम्नलिखित शामिल हैं:

चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या

1 .

सिविल सर्जन;

शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास में विशेषज्ञ या

2 .

हड्डी रोग में विशेषज्ञ; और

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक विशेषज्ञ

3 .

विकलांग व्यक्ति की स्थिति के अनुसार।

18. लोकोमोटर अक्षमता के अलावा, दिशानिर्देशों में दृश्य को भी शामिल किया गया है

विकार, श्रवण हानि, बोलने और सुनने की अक्षमता, बौद्धिक क्षमता, पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली अक्षमता, अक्षमता या रक्त विकार और कई अक्षमताएँ:

" 25.2 . मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग जैसी पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली अक्षमता बहुआयामी है।

पेशीय कंकाल प्रणाली में अभिव्यक्ति शामिल है और

मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवहार। इन स्थितियों के कारण पेशी-कंकाल प्रणाली में अक्षमता का आकलन पुरानी तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण चलने-फिरने में अक्षमता के आकलन से संबंधित इन दिशानिर्देशों की धारा ई (अनुलग्नक II का पैरा 10-10.8) के संदर्भ में किया जाएगा।

स्थितियों और मनोसामाजिक अक्षमता (मानसिक बीमारी) का मूल्यांकन परिशिष्ट IV के अनुसार आई. डी. ई. ए. एस. का उपयोग करके किया जाएगा।

इन शर्तों के कारण अक्षमता की गणना तब की जाएगी

सूत्र a + b (90-a) का उपयोग करके

जहाँ "ए" उच्च अंक होगा और

और "बी" कम अंक होगा। हालांकि, कई विकलांगों का अधिकतम कुल प्रतिशत 100% से अधिक नहीं होगा।

दिशानिर्देशों का परिशिष्ट-II ऊपरी छोरों के संबंध में एक विस्तृत मूल्यांकन प्रारूप प्रदान करता है।

19. 29 अगस्त 2018 को, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग में एमएसजेई ने एक कार्यालय जारी किया

ज्ञापन। ओ. एम. का शीर्षक है: बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश "। ओ. एम. ने नोट किया कि विभाग ने पूर्ववर्ती कानून, अर्थात् विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत परिभाषित विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशा-निर्देश 26 फरवरी 2013 को जारी किए गए थे।

19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। ओ. एम. में कहा गया है कि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 सरकारी नौकरियों में ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है जिनके पास धारा 2 (आर) में परिभाषित मानक अक्षमताएँ। समिति के निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने ओ. एम. के माध्यम से 26 फरवरी 2013 के पहले के दिशानिर्देशों के स्थान पर "बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए" संशोधित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। उपरोक्त दिशा-निर्देश जिन्हें दिनांक 29 अगस्त 2018 को ओ. एम. के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लेखकों के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

" I. इन दिशानिर्देशों को 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश 2018' कहा जा सकता है।

II. लिखित शिक्षा के लिए मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए देश भर में एक समान और व्यापक नीति होनी चाहिए।

प्रौद्योगिकी में सुधार को ध्यान में रखते हुए परीक्षा और

10 " 1995 अधिनियम "आशा कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए नए रास्ते खोले गए एक स्तरीय खेल का मैदान प्रदान करना। नीति में भी लचीलापन होना चाहिए

मामला-दर-मामला आधार पर विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करें। III. नियमित और नियमित के लिए अलग मानदंड तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रतियोगी परीक्षाएँ।

IV. लिपिक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए।

धारा के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति को 2 (आर) आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 और लिखित रूप में सीमाएँ हैं जिनमें शामिल हैं

गति की, यदि वह ऐसा चाहता है।

अंधापन, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात, लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा दी जाएगी। अगर

इसलिए व्यक्ति द्वारा वांछित।

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में,

लिपिक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है

इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कि संबंधित व्यक्ति

लिखने के लिए शारीरिक सीमा है, और लिखने के लिए लेखक आवश्यक है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल से उनकी ओर से परीक्षा सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

परिशिष्ट-I में प्रोफार्मा के अनुसार संस्थान। प्रमाणपत्र का रूप जो परिशिष्ट-I में दिया गया है नीचे लिखा है:

एपेन्डिक्स-I

लिखने के लिए एक परीक्षा में शारीरिक सीमा के बारे में प्रमाण पत्र

श्री/मा/एमआर ए

है।

सीएक्सएमिनेड

यह

प्रमाणित करें

कि,

को

(विकलांग उम्मीदवार का नाम), एक व्यक्ति

के साथ

(अक्षमता की प्रकृति और प्रतिशत 89

अक्षमता प्रमाण पत्र में उल्लिखित), एस/ओ/डी/0

के निवासी

(गाँव/जिला/राज्य)

उसकी शारीरिक सीमाएँ हैं जो उसे बाधित करती हैं।

और यह कहना कि अक्षमता के कारण लिखने की क्षमता।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान

नाम और पदनाम।

मुहर लगे सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थानः तारीखः

ध्यान दें: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रैकैम/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए।

(उदा. दृष्टि दोष नेत्र रोग विशेषज्ञ, एलकोमोटर अक्षमता-आर्थोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर)।

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त दिशानिर्देशों में लिखित परीक्षाओं में बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए एक लेखक के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। नीति भी

यह मानता है कि मामले-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए लचीलेपन का एक उपाय होना चाहिए। दिशानिर्देशों के तहत, बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक लेखक की सुविधा की परिकल्पना की गई है

बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवार। इन उम्मीदवारों में तीन श्रेणियों से संबंधित-नेत्रहीन और लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों को यदि वांछित हो तो सुविधा दी जानी चाहिए। अन्य बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के मामले में, ऐसी सुविधा होनी चाहिए

ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार जारी किए गए प्रमाण पत्र पर विस्तारित।

29 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचना के बाद सी. एस. ई. के संचालन के नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित नियम

इस पर विचार कीजिए:

" उम्मीदवारों को अपने हाथों से पेपर लिखना होगा। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उनके लिए उत्तर लिखने के लिए एक लेखक की मदद की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंधेपन, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणियों में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को व्यक्ति द्वारा वांछित होने पर लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की

धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, ऐसे उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक की सुविधा की अनुमति दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक सीमा है, और मुख्य चिकित्सा विकास कुमार बनाम की ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक को परिशिष्ट-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को परीक्षा के बीस मिनट प्रति घंटे के मुआवजे के समय की अनुमति दी जाएगी।
बेंचमार्क 1 अक्षमता, यह सुविधा उत्पादन पर प्रदान की जाएगी

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक सीमा है

परिशिष्ट-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार।

उपरोक्त संशोधन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के समान है

ओ. एम. दिनांक 29 अगस्त 2018।

अब यह इस पृष्ठभूमि में है कि उस पद के लिए संक्षेप में विज्ञापन देना आवश्यक है जिसे दोनों पक्षों द्वारा शपथ पत्र पर अपनाया गया है।

केंद्र सरकार-एक ओर एमएसजेई और दूसरी ओर यूपीएससी।

ई. दो सरकारी मंत्रालय: एक नीति डिस्कनेक्ट करें

21. यूपीएससी ने अपने संयुक्त सचिव के माध्यम से दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वह सीएसई का संचालन नियमों के अनुसार सख्ती से करता है

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में भारत सरकार द्वारा बनाया और अधिनियमित किया गया। यह भी ध्यान देता है कि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों को एक नोडल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में जाना जाता है जो अधिनियम के तहत लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता और सहायता के साथ नीतियों, निर्देशों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देता है। यूपीएससी के अनुसार:

" ..... डी. ओ. पी. टी. द्वारा अधिनियमित सिविल सेवा परीक्षा नियमों में अक्षमता से पीड़ित उम्मीदवार को कोई लाभ प्रदान करने का प्रावधान नहीं है जिसे राइटर क्रैम्प या डिस्ग्राफिया के रूप में

जाना जाता है। वास्तव में डी. ओ. पी. एंड टी. द्वारा अधिनियमित नियम केवल बेंचमार्क अक्षमताओं से पीड़ित उम्मीदवारों को एक लेखक की सुविधा का लाभ प्रदान करते हैं, और नियमों के तहत उन व्यक्तियों को कोई लाभ देने पर विचार नहीं किया जाता है जो बेंचमार्क अक्षमताओं से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य प्रकार की अक्षमताओं से पीड़ित हैं।

22. एम. एस. जे. ई. द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी ओ. एम. का उल्लेख करते हुए, यू. पी. एस. सी. के हलफनामे में कहा गया है कि ये दिशानिर्देश सीमित करते हैं -

केवल बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए एक लेखक का लाभ।

अपीलार्थी के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि जिस श्रेणी में अपीलार्थी को रखा गया है, उसमें आने वाले उम्मीदवारों के लिए एक लिपिक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएससी वास्तव में कहता है कि यह सीएसई नियम 2018 से विचलन की अनुमति नहीं देता है। यू. पी. एस. सी. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर अपनाई गई स्थिति के विपरीत, एम. एस. जे. ई. की ओर से दायर उत्तर द्वारा अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। मंत्रालय ने 29 अगस्त 2018 को बनाए गए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए कहा कि लेखक की ऐंठन विशेष रूप से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निहित निर्दिष्ट अक्षमताओं की सूची में शामिल नहीं है और "तदनुसार ऊपर बताए गए दिशानिर्देश लेखक की ऐंठन से पीड़ित व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं"। यह कहने के बाद, मंत्रालय कहता है:

" G. यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य चिकित्सा स्थितियां हैं जिन्हें विकलांग के रूप में पहचाना नहीं जाता है

लेकिन जिनके निहितार्थ किसी व्यक्ति की लेखन क्षमता में बाधा डाल सकते हैं, बिना किसी निर्दिष्ट अक्षमता के प्रकट हुए। इसलिए, यह जाँच निकाय की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों पर विचार करे ताकि लेखक को अतिरिक्त समय दिया जा सके और इसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अन्य श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों के समान चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

23. एम. एस. जे. ई. नोडल मंत्रालय है जिसे इसे लागू करने का काम सौंपा गया है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के प्रावधान। नोडल मंत्रालय के रूप में, इसने 29 अगस्त 2018 को दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश, जैसा कि हमने पहले देखा है, धारा 2 (आर) के अर्थ के भीतर बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए एक लेखक, पाठक या प्रयोगशाला सहायक तक पहुंच को

सीमित करते हैं। फिर भी, नोडल मंत्रालय के रूप में, यह मानता है कि ये दिशानिर्देश उन परिस्थितियों या स्थितियों के बारे में संपूर्ण नहीं हैं जिनमें एक लेखक हो सकता है

प्रदान किया गया। इसके विपरीत, एम. एस. जे. ई. ने अन्य चिकित्सा स्थितियों की व्यापकता को मान्यता दी है जिन्हें "अक्षमता के रूप में पहचाना नहीं गया है" लेकिन जो किसी व्यक्ति की लेखन क्षमता में बाधा डाल सकता है। यह विशेष रूप से प्रत्येक जांच निकाय के लिए अनुदान के लिए ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए खुला छोड़ता है

बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र के उत्पादन के खिलाफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से लेखक, अतिरिक्त समय या अन्य सुविधाएं। 24. नोडल मंत्रालय का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से यू. पी. एस. सी. तक नहीं पहुंचा है, जो दूसरी ओर खुद को सख्ती से बाध्य मानता है, विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सी. एस. ई. के संचालन के लिए डी. ओ. पी. टी. द्वारा निर्दिष्ट नियमों से विचलन के बिना। एम. एस. जे. ई. के विचारों के बावजूद, यू. पी. एस. सी. यह स्वीकार नहीं करता है कि 29 अगस्त 2018 के दिशानिर्देशों में दिशानिर्देशों में उल्लिखित मामलों से परे मामले-दर-मामले के आधार पर आवास प्रदान करने का विवेकाधिकार निहित है। मैदान को धारण करने वाले नियम 29 अगस्त 2018 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में हैं। इसलिए यूपीएससी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से कहा है कि एक उम्मीदवार जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के विवरण को पूरा नहीं करता है, वह नहीं होगा

एक लेखक का अधिकार। न्यायालय के समक्ष दो केंद्रीय मंत्रालयों के ये अलग-अलग विचार एक नीति के विच्छेद के लक्षण हैं। हम इस तथ्य के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि भारत की विकलांग आबादी के लिए गंभीर परिणाम वाले नीतिगत मामले में, बाएं हाथ को पता नहीं है कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है।

एफ. बेंचमार्क अक्षमता प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है

लेखक

25. यह इस पृष्ठभूमि में है कि न्यायालय को इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए, जैसा कि वह समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के अधिकारों पर करता है। द.

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 दो अलग-अलग अवधारणाओं को मूर्त रूप देता है जब यह (i)

' मानक विकलांग व्यक्ति और (ii) विकलांग व्यक्ति। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को परिभाषित करने में, धारा 2 (आर) में दो श्रेणियां शामिल हैं: (i) एक निर्दिष्ट अक्षमता के 40 प्रतिशत से कम नहीं वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और (ii) एक

विकलांग व्यक्ति जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

दूसरे शब्दों में, धारा 2 (आर) एक ऐसी स्थिति दोनों को शामिल करती है जहां एक निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है, जिस स्थिति में इसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसका निर्दिष्ट विकलांगता का 40 प्रतिशत से कम नहीं है, लेकिन यह भी जहां एक निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है। प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा एक प्रमाणन है

26. दूसरी अवधारणा जो धारा 2 (ओं) में सन्निहित है, वह विकलांग व्यक्ति की है। धारा 2 (ओं) के विपरीत धारा 2 (ओं) को निर्दिष्ट अक्षमता या बेंचमार्क अक्षमता की धारणा के साथ टैग नहीं किया गया है। जैसा कि धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है। संसद द्वारा धारा 2 (ओं) को व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति है जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत करता है।

समाज में दूसरों के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

27. धारा 2 (ओं) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे पहले, हानि की प्रकृति को पहचानता है, दूसरा, विभिन्न बाधाओं के साथ हानि का परस्पर संबंध और तीसरा, बाधा में हानि का प्रभाव।

परिवेश जो समाज में पूर्ण, प्रभावी और समान भागीदारी की प्राप्ति को रोकता है। 28. पाठगत निर्माण और शब्द के अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य दोनों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि धारा 2 (ओं) में परिभाषा को धारा 2 (आर) के तहत परिभाषा के साथ चिह्नित मापने योग्य मात्राओं द्वारा संकुचित नहीं किया जा सकता है।

29. धारा 2 (आर) के तहत एक बेंचमार्क विकलांगता की अवधारणा को धारा 2 (एस) के तहत विकलांगता की धारणा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। धारा 2 (आर) में परिभाषा एक निर्दिष्ट विकलांगता के मामले में लागू होती है। 'निर्दिष्ट अक्षमता' अभिव्यक्ति को धारा 2 (जेड. सी.) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट अक्षमता है। अधिनियम की अनुसूची

इसमें पाँच निर्दिष्ट अक्षमताएँ शामिल हैं:

1. शारीरिक अक्षमताओं में शामिल हैं -

(क) लोकोमोटर अक्षमता सहित

(i) कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति

((ii) मस्तिष्क पक्षाघात

((iii) बौनापन

(iv) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

(v) तेजाब हमले के पीड़ित;

(ख) दृष्टि संबंधी हानि

((i) अंधापन

((ii) कम दृष्टि वाले विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((c) श्रवण दोष

((घ) बोलने और भाषा की अक्षमता

2. बौद्धिक अक्षमता सहित

(क) विशिष्ट अधिगम अक्षमताएँ

(ख) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार

3. मानसिक व्यवहार

4. के कारण होने वाली अक्षमता

(ए) पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, जैसे कि

((i) मल्टिपल स्क्लेरोसिस

((b) पार्किंसंस रोग

(ख) रक्त विकार

केंद्र सरकार को किसी भी अन्य श्रेणी को निर्दिष्ट विकलांगता के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। 30. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के तहत मानक अक्षमताओं की अवधारणा को विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में अपनाया गया है:

अध्याय VI और अध्याय VII। अध्याय VI में मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। उन प्रावधानों में धारा 31 (बेंचमार्क विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा), धारा 32 (उच्च शैक्षणिक

संस्थानों में आरक्षण), धारा 33 (आरक्षण के लिए पदों की पहचान), धारा 34 (आरक्षण), धारा 36 (विशेष रोजगार विनिमय) और धारा 37 (विशेष योजनाएं और प्रावधान) शामिल हैं। विकास कार्यक्रम)। अध्याय VII में उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस प्रकार, इस विवरण को पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए कानून में निहित विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क विकलांगता की अवधारणा को अपनाया गया है।

31. विकलांग व्यक्तियों में मानक विकलांगता की धारणा के साथ अधिकारों और अधिकारों का टकराव आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अधिनियमन के अंतर्निहित हितकारी उद्देश्य की सेवा करता है। इससे भी बदतर, व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त अधिकारों और अधिकारों से इनकार करना। विकलांगों के साथ इस आधार पर कि वे एक बेंचमार्क विकलांगता को पूरा नहीं करते हैं, स्पष्ट रूप से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।

जी. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016: एक प्रतिमान

स्थानांतरण

जी1 एक संवैधानिक प्रतिबद्धता की वैधानिक अभिव्यक्ति

32. हमारे संविधान के भाग III में व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।

33. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 जिस मौलिक अभिधारणा पर आधारित है, वह समानता और गैर-भेदभाव का सिद्धांत है। धारा 3 सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व डालती है कि व्यक्ति विकलांग व्यक्ति (i) समानता का अधिकार; (ii) गरिमा के साथ जीवन; और (iii) दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता का सम्मान करते हैं। धारा 3 एक है

विधायिका के इरादे की सकारात्मक घोषणा कि समानता और गैर-भेदभाव का मौलिक अभिधारणा व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है एक मानक विकलांगता की धारणा के साथ इसे बाधित किए बिना विकलांगों के साथ। धारा 3 संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 14,19 और 21 में सन्निहित संवैधानिक अधिकारों की वैधानिक मान्यता है। विकलांग व्यक्तियों के वैधानिक अधिकार और पात्रता को मान्यता देकर, धारा 3 विकलांग व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने और उन्हें पूरा करने में सुविधा प्रदान करने का प्रयास करती है।

अक्षमताएँ।

34. विकलांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के सामने आने वाली बाधाओं के बीच एक महत्वपूर्ण गुणात्मक अंतर है। विकलांग व्यक्तियों को समान गरिमा और मूल्य का जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए, यह आदेश देना पर्याप्त नहीं है कि उनके साथ भेदभाव किया जाए।

अस्वीकार्य। यह आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमें एक समाज के रूप में समान रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन्हें अतिरिक्त सहायता और सुविधाएं प्रदान करें जो उनकी विकलांगता के प्रभाव की भरपाई के लिए उनके लिए आवश्यक हैं। इस न्यायालय ने जीजा घोष बनाम में अपने फैसले में कहा। भारत संघ ने कहा कि समानता का एक प्रमुख घटक उचित का सिद्धांत है।

विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पहचानते हुए भेदभाव और विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए, ताकि उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

मौलिक समानता। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने उपरोक्त फैसले में कहा:

1 1 11 (2016) 7 एस. सी. सी. 761 विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 40. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में, समानता पर आधारित है दो पूरक सिद्धांत: गैर-भेदभाव और उचित

विभेदन। गैर-भेदभाव का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि

कि सभी व्यक्ति समान रूप से अपने सभी अधिकारों का आनंद ले सकें और उनका प्रयोग कर सकें और

सुविधाओं और सेवाओं को मानकों पर निर्धारित किया जाता है जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। विकलांग व्यक्ति, यह बहिष्करण और अधिकारों से इनकार की ओर ले जाता है।

समानता का अर्थ केवल भेदभाव को रोकना नहीं है

(उदाहरण के लिए, प्रतिकूल के खिलाफ व्यक्तियों की सुरक्षा

भेदभाव विरोधी कानून लागू करके उपचार), लेकिन चला जाता है

समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करने से परे समाज में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कंक्रीट में

शब्दों में, इसका अर्थ है सकारात्मक अधिकारों की धारणा को अपनाना,

सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन "।

(जोर दिया गया)

35. उचित आवास का सिद्धांत दर्शाता है कि

विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी की सुविधा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और निजी पक्षों का सकारात्मक दायित्व। उचित आवास की अवधारणा है

नीचे खंड (एच) में विकसित किया गया है। वर्तमान में, यह कहना पर्याप्त है कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए, संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार, छह स्वतंत्रताएँ और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार खोखला हो जाएगा यदि उन्हें यह अतिरिक्त समर्थन नहीं दिया जाता है जो इन अधिकारों को उनके लिए वास्तविक और सार्थक बनाने में मदद करता है। उचित समायोजन साधन है-एक समाज के रूप में एक दायित्व है-विकलांगों को समानता और गैर-भेदभाव की संवैधानिक गारंटी का आनंद लेने में सक्षम बनाना। इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की (जैसा कि वे उस समय थे) टिप्पणी को न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे में याद रखना उचित होगा।

फाउंडेशन वी। भारत संघ 1 2, जहाँ उन्होंने कहा:

सक्षम, कार्यपालिका का दृष्टिकोण और रवैया उदार होना चाहिए और राहत उन्मुख और अवरोधक या सुस्त नहीं।

2016 अधिनियम की जी2 योजना

36. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 एक ऐतिहासिक कानून था जो

1995 के अधिनियम को निरस्त कर दिया और विकलांगता पर भारतीय कानून को लागू किया। 1 2 12 (2018) 2 एससीसी 397 [2021] 12 एस. सी. आर.

व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ विकलांग 1 3. पुरानी व्यवस्था के तहत, विकलांगता को केवल एक चिकित्सा स्थिति के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें इस बात की कोई समझ नहीं थी कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा विकलांगता कैसे उत्पन्न होती है जो सक्षम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करती है और समाज में विकलांग व्यक्तियों की समान भागीदारी में बाधा डालती है और उन्हें अस्वीकार करती है। 1995 के अधिनियम की धारा 2 (टी) ने "विकलांग व्यक्ति" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

" (टी) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो किसी चिकित्सा द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के चालीस प्रतिशत से कम से पीड़ित नहीं है।

प्राधिकार "

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में "विकलांग व्यक्तियों" की एक अधिक समावेशी परिभाषा है जो एक कलंकित करने वाले चिकित्सा मॉडल से बदलाव का प्रमाण है।

1995 के अधिनियम के तहत अक्षमता के एक सामाजिक मॉडल के लिए अक्षमता जो यह मानता है कि यह सामाजिक और शारीरिक बाधा है जो विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण और प्रभावी रूप से बहिष्कृत करने के केंद्र में है समाज में भागीदारी। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 2 (ओं) [जिसका हमने उपरोक्त पैरा 26-28 में विश्लेषण किया है] प्रदान करती है:

" (एस) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति जो बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 2 (सी) के तहत एक बाधा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" (ग) "बाधा" का अर्थ संचार, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत, राजनीतिक, सामाजिक, दृष्टिकोण या संरचनात्मक कारकों सहित कोई भी कारक है जो पूर्ण और प्रभावी रूप से बाधा डालता है।

समाज में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी;

1995 के अधिनियम के तहत, केवल सात प्रकार की अक्षमताएँ थीं

पहचाने जाते हैं। धारा 2 (i) में निम्नलिखित अक्षमताओं को सूचीबद्ध किया गया है:

((i) अंधापन;

((ii) कम दृष्टि;

(iii) कुष्ठ रोग-ठीक हो गया;

13 " UNCRPD "

((iv) श्रवण दोष;

(v) लोकोमोटर अक्षमता;

(vi) मानसिक मंदता;

(vii) मानसिक बीमारी "

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 अब 21 "निर्दिष्ट अक्षमताओं" को मान्यता देता है और केंद्र सरकार को अक्षमता की और श्रेणियों को जोड़ने में सक्षम बनाता है। 2016 अधिनियम अधिनियम के अध्याय VI और VII के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान भी करता है। मानक अक्षमता वाले व्यक्ति को 2016 के अधिनियम की धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित किया गया है [ऊपर पैरा 25 में विश्लेषण किया गया है]:

" (आर) "बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाला व्यक्ति। एक निर्दिष्ट अक्षमता जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें एक विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट अक्षमता को परिभाषित किया गया है।

मापने योग्य शब्दों में, जैसा कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की योजना से यह स्पष्ट है कि "

विकलांग "और" मानक विकलांग व्यक्ति "को अलग-अलग अधिकारों और सुरक्षा वाले व्यक्तियों की अलग-अलग श्रेणियों के रूप में माना जाता है। उच्च समर्थन वाले विकलांग व्यक्तियों की एक तीसरी श्रेणी

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत भी जरूरतों को परिभाषित किया गया है।

37. उचित समायोजन के सामान्य सिद्धांत को 1995 के अधिनियम में जगह नहीं मिली। एक लिपिक की सहायता लेने का प्रावधान नेत्रहीन छात्रों या शिक्षा में कम दृष्टि वाले छात्रों तक सीमित था।

संस्थाएं। 1995 के अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान किया गया है:

" सभी शैक्षणिक संस्थान नेत्रहीन छात्रों और कम दृष्टि वाले छात्रों को एमानुएनसिस प्रदान करेंगे या प्रदान कराएंगे।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में उचित समायोजन के सिद्धांत को अधिक व्यापक रूप से प्रकट किया गया है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 3 अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पर सकारात्मक कर्तव्यों और दायित्वों को डाल कर गैर-भेदभाव की औपचारिक गारंटी से परे है। धारा 3 में "उपयुक्त वातावरण प्रदान करके" विकलांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाकर मान्यता दी गई है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है। धारा 2 (y) में उचित समायोजन की अवधारणा में [2021] 12 एस. सी. आर. शामिल है।

"आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन" करना जब तक कि वे किसी विशेष मामले में असमान या अनुचित बोझ नहीं लगाते हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। " समानता, गैर-भेदभाव और गरिमा आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के सुरक्षात्मक दायरे का सार है।

38. जबकि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत अधिकांश दायित्व हैं -

सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों पर डालते हुए, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों ने निजी क्षेत्र पर भी कुछ दायित्व लगाए हैं। भारत में उदारीकरण के आगमन के बाद से बाजार में निजी क्षेत्र की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 यह मानता है कि भारत में रोजगार पैदा करने में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ, विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के बाजार में समान अवसर प्रदान करके एक समावेशी कार्यबल बनाने के लिए निजी नियोक्ताओं पर एक सक्रिय जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। हालांकि, समान अवसर की गारंटी के साथ उचित आवास का प्रावधान होना चाहिए। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत बनाए गए नियमों में कहा गया है कि निजी प्रतिष्ठान दिव्यांगता के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 1 4 14 यह ध्यान देने योग्य है कि परिभाषा आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एच) के तहत भेदभाव में उचित समायोजन से इनकार करना शामिल है। निजी नियोक्ताओं को एक समान अवसर नीति तैयार करने के लिए अनिवार्य किया गया है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए समान अवसर नीतियों में (i) विकलांग व्यक्तियों की भर्ती की देखरेख के लिए प्रतिष्ठानों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति और ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता है।

और प्रशिक्षण सुविधाएं, सहायक उपकरण, बाधा मुक्त पहुंच, स्थानांतरण और पदोन्नति में वरीयता, आवासीय आवास का आवंटन और विशेष अवकाश जैसे लाभ। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 आगे

यह प्रावधान है कि निजी प्रतिष्ठानों को भवन योजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित पहुंच मानदंडों का पालन करना होगा। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में यह भी प्रावधान है कि प्रतिष्ठानों के कार्यबल का 5 प्रतिशत

14 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 3 (1) 1 5 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 21 जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के नियम 8 (3) (ई)

1 7 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 8 (3) (बी)

18 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के नियम 8 (3) उपखंड (सी) और (डी)

19 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 44 विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपयुक्त सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में मानक अक्षमता वाले व्यक्ति शामिल होंगे। भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड "1 ने इस रोजगार को मान्यता दी है।

अवसर विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायमूर्ति पी. सतशिवम (जैसा कि उन्हें तब कहा गया था) ने कहा:

" 50. विकलांग लोगों के सशक्तिकरण और समावेश में रोजगार एक प्रमुख कारक है। यह एक चिंताजनक वास्तविकता है कि विकलांग लोग नौकरी से बाहर हैं इसलिए नहीं कि उनकी अक्षमता रास्ते में आती है

उनके काम करने के बजाय यह सामाजिक और व्यावहारिक बाधाएं हैं जो

उन्हें कार्यबल में शामिल होने से रोकें। नतीजतन, कई

अपने लिए उपयोगी योगदान करने के अधिकार से वंचित हैं उनके परिवारों और समुदाय के जीवन के लिए "।

यह आवश्यक है कि न केवल सरकार बल्कि निजी भी

यह क्षेत्र आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

39. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 मूल रूप से इस पर आधारित है -

यह मान्यता कि होने के कई तरीके हैं, कोई और 'सामान्य' या 'बेहतर' नहीं है

दूसरे से अधिक। यह विकलांगों को उनके अंतर में आराम और सशक्तिकरण की भावना प्रदान करना चाहता है। सदियों के अलगाव और भेदभाव से उत्पन्न स्थिति को स्वीकार करते हुए कि इस असतत और द्वीपीय अल्पसंख्यक को अपनी ओर से बिना किसी गलती के सामना करना पड़ा है, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 का उद्देश्य उन्हें फलने-फूलने, फलने-फूलने और दुनिया में अपने अद्वितीय योगदान की पेशकश करने के लिए एक समान मंच प्रदान करना है। यह हम में से प्रत्येक के गहरे निहितार्थ वाले

सरल विचार पर आधारित है: दुनिया के साथ साझा करने और इसे दिलचस्प और समृद्ध बनाने के लिए अद्वितीय शक्तियाँ। 22 उनके लिए दरवाजे खोलकर और उनकी पूरी क्षमता की प्राप्ति को विफल करने वाली बाधाओं को कम करके, यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उन्हें अब दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में नहीं माना जाए।

40. यह विकलांग लोगों को एक शक्तिशाली आवाज देता है, जो अपने दम पर

जिस तरह से उनकी हानि समाज के साथ बातचीत करती है, अब तक मौन महसूस किया

20 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 35 21 (2013) 10 एस. सी. सी. 772 22 सोनिया सोटोमेयर, बस पूछो! : अलग बनो, बहादुर बनो, तुम हो [2019, पेंगुइन] पाठक को पत्र।

सामुदायिक जीवन, प्रजनन, न्याय तक पहुंच और संरक्षकता जैसे विभिन्न परिवेशों में अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विशिष्ट संदर्भों में लागू करके धारा 3 में सन्निहित किया गया है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 का अध्याय III शैक्षणिक संस्थानों की ओर से विशिष्ट कर्तव्यों को मान्यता देता है। धारा 17 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपायों की बात करती है। उनमें से, खंड (छ) बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए पुस्तकों, सीखने की सामग्री और सहायक उपकरणों के प्रावधान पर विचार करता है।

41. जब सरकार आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत अपने सकारात्मक कर्तव्यों और दायित्वों को मान्यता देते हुए सिविल सेवा परीक्षा के दौरान एक लिपिक को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रावधान करती है, तो इसे उपहार प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है। न ही यह एक लिपिक को अनुमति देने से एक उम्मीदवार को विशेषाधिकार प्रदान करता है। एक लेखक की सुविधा का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक जनादेश के अनुसरण में है कि विकलांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता के लिए समाज में सम्मान के आधार पर समानता और गरिमा का जीवन जीने में सक्षम हैं। यू. पी. एस. ई./डी. ओ. पी. टी. की ओर से इस आधार पर कार्यवाही करने में एक मौलिक भ्रांति है कि एक लिपिक की सुविधा केवल मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एम. एस. जे. ई. द्वारा अपने दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने में विफलता के कारण ऐसा होता है। के भीतर एक बेंचमार्क विकलांगता की पूरी अवधारणा धारा 2 (आर) का अर्थ मुख्य रूप से आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है जो आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अध्याय VI में सन्निहित हैं। संभवतः, संसद ने सरकारी प्रतिष्ठानों में पदों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करते हुए यह विचार रखा था कि इस अधिकार को मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए मान्यता दी जानी

चाहिए। विधायी नीति के मामले में, अध्याय VI के इन प्रावधानों को विकास कुमार v वाले लोगों पर लागू किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बेंचमार्क अक्षमताएँ जहाँ अक्षमता की एक उच्च सीमा निर्धारित की गई है। विशिष्ट वैधानिक संदर्भ को छोड़कर जहां मानदंड का मानदंड

अक्षमता को लागू किया गया है, यह स्पष्ट रूप से उन अधिकारों और अधिकारों को अस्वीकार करने के लिए अधिनियम के पाठ और इरादे दोनों के विपरीत होगा जिन्हें इस आधार पर विकलांग व्यक्तियों में विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है कि वे एक मानक अक्षमता की सीमा को पूरा नहीं करते हैं। एक वैधानिक अवधारणा जिसे संसद द्वारा विशिष्ट स्थितियों में लागू किया गया है, उसे अन्य लोगों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है जहां व्यापक अभिव्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों का उपयोग वैधानिक रूप से किया जाता है। 29 अगस्त 2018 को बनाए गए दिशानिर्देशों को किसी भी तरह से उन स्थितियों का संपूर्ण नहीं माना जा सकता है जिनमें एक लेखक का लाभ बेंचमार्क विकलांगों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकता है। एम. एस. जे. ई. ने इस न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में उन दिशा-निर्देशों को उन परिस्थितियों के रूप में नहीं माना है जिनमें व्यक्तियों के लिए एक लेखक प्रदान किया जा सकता है। बेंचमार्क विकलांग लोगों के अलावा। एम. एस. जे. ई. की यह समझ इस सरल कारण से सही है कि धारा 3 जैसे प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकार धारा 2 (ओं) द्वारा व्यापक रूप से परिभाषित विकलांग व्यक्तियों तक फैले हुए हैं।

42. इसलिए हमारा मानना है कि डी. ओ. पी. टी. और यू. पी. एस. सी. ने उस निर्माण में मौलिक रूप से गलती की है जिसे इस पर रखा गया है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के प्रावधान। एक लेखक की सुविधा को केवल उन लोगों तक सीमित रखना जिनके पास मानक विकलांगता है, व्यक्तियों के एक वर्ग को उनके वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों से वंचित करना होगा। ऐसा करने के लिए

यह साधारण शब्दों के साथ-साथ क़ानून के उद्देश्य के विपरीत होगा।

एच. उचित आवास

43. इस मामले के केंद्र में उचित समायोजन का सिद्धांत निहित है। व्यक्तिगत गरिमा आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आती है। समाज के एक समान सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य को पहचानना इसकी प्राप्ति के लिए आंतरिक है। दूसरों की गरिमा के लिए सम्मान और ऐसी स्थितियों को बढ़ावा देना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार विकसित हो सके क्षमता एक कानूनी व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं जो रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं।

और व्यक्तिगत स्वायत्तता की सुविधा प्रदान करता है। इन मूल्यों को विकलांगों के अपरिहार्य अधिकारों के रूप में पेश करने की कोशिश में, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 केवल गैर-भेदभाव के चार्टर से परे है। यह विकलांगों के खिलाफ भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने से परे है। कानून राज्य की प्राप्ति को सुरक्षित करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व लागू करके ऐसा करता है। अधिकार। यह अनिवार्य रूप से ऐसा करता है कि राज्य को ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें विकलांगता से उत्पन्न बाधाओं को दूर किया जा सके।

एक उपयुक्त वातावरण जिसमें विकलांग व्यक्ति मानवाधिकारों की पूरी श्रृंखला का पीछा कर सकते हैं जो मानव स्वतंत्रता के भीतर शामिल हैं कानून में लागू करने योग्य। मौलिक समानता पर जोर देते हुए, इस कानून का अधिनियमन विकलांगों को अवसर की समानता के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण घटना है।

44. एक सामाजिक संरचना के रूप में, अक्षमता एक चिकित्सा स्थिति की तुलना में व्यापक और अधिक व्यापक विशेषताओं को शामिल करती है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम,

2016 यह मान्यता है कि विकलांगता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी अधिकारों की एक श्रृंखला तक पहुंच की असमानता होती है। विकलांगों को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वे पूर्वाग्रह, भेदभाव और सामाजिक उदासीनता से उत्पन्न बाधाओं के साथ विकलांगता के जुड़ाव से उभरते हैं। अवरोधक कारकों के रूप में कार्य करते हुए, इन बाधाओं की उत्पत्ति समाज में शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से हो सकती है। अक्षमता से उत्पन्न पूर्व-मौजूदा प्रतिबंधों पर काम करना, ये बाधाएं

विकास ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जिसमें विकलांगों को सामाजिक बोझ का असमान हिस्सा वहन करना पड़ता है। इस कानून में यह माना गया है कि विकलांगों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं का समाधान उस सामाजिक वातावरण में पाया जाना चाहिए जिसमें वे रहते हैं, काम करते हैं और दूसरों के साथ सह-आदत रखते हैं। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को व्यापक अधिकारों को विरासत में मिलने के रूप में मान्यता देकर दूर किया जा सकता है; ऐसे अधिकार जो दूसरों पर कर्तव्यों और दायित्वों को लागू करते हैं। 45. उचित समायोजन का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि यदि सामाजिक संरचना के रूप में अक्षमता को दूर करना है, तो विकलांगों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सकारात्मक रूप से स्थितियां बनानी होंगी। उचित आवास समावेशन के मानदंड में स्थापित किया गया है। बहिष्करण के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत गरिमा और मूल्य की उपेक्षा होती है या वे उचित समायोजन का मार्ग चुन सकते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान किया जाता है। इस मार्ग के तहत, "शक्तिशाली और बहुसंख्यक अपने स्वयं के नियमों और

प्रथाओं को, तर्क की सीमाओं के भीतर और अनुचित कठिनाई से कम, इन लक्षयों को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अनुकूलित करते हैं।" 23

46. अक्षमता के विशिष्ट संदर्भ में, उचित आवास का सिद्धांत यह मानता है कि वे शर्तें जो विकलांगों को बाहर करती हैं।

समाज के समान सदस्यों के रूप में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से एक ऐसे समायोजन समाज को रास्ता देना होगा जो अंतर को स्वीकार करे, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करे और समाज में एक वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करे। 23 एक बहुसांस्कृतिक समाज में उचित आवास, कनाडाई बार एसोसिएशन निरंतर कानूनी शिक्षा समिति और राष्ट्रीय संवैधानिक और मानवाधिकार कानून अनुभाग, 7 अप्रैल, 1995, कैलगरी, अल्बर्टा में 1 पर संबोधन।

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

शासन में या व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक जीवन की पूर्ण गोपनीयताओं को महसूस करने में भाग लेने वाले। जिस आवास को कानून अनिवार्य करता है वह 'उचित' है क्योंकि इसे विकलांगता की प्रत्येक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना है। अपेक्षाएँ जो प्रत्येक विकलांग व्यक्ति से की जाती हैं अक्षमता की प्रकृति और इसके परिणामस्वरूप आने वाली बाधाओं के चरित्र के लिए अद्वितीय हैं।

47. उदाहरण के लिए, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, उसे उचित आवास की आवश्यकता होती है जिसमें स्क्रीन आवर्धन शामिल हो सकता है।

सॉफ्टवेयर या स्क्रीन रीडर [जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री को यांत्रिक आवाज में बोल सकता है]। इसमें ब्रेल में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री और एक दृष्टि सहायक भी शामिल हो सकता है। उसी तरह,

इनमें भाषण-से-पाठ परिवर्तक, संकेत भाषा दुभाषियों तक पहुंच, ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली, ऐसे कमरे जिनमें प्रतिध्वनि समाप्त हो जाती है और होंठ शामिल हैं। पढ़ना संभव है। इसी तरह, डिस्लेक्सिया वाले व्यक्ति के लिए, उचित आवास में उपयुक्त कंप्यूटर कार्यक्रमों तक पहुंच शामिल हो सकती है।

उनकी जरूरतों और क्षतिपूर्ति समय को पूरा करने के लिए।

48. प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में विफलता

भेदभाव प्रकृति में परस्पर विरोधी है। अंत:च्छेदन विशेषताएँ विशेष संदर्भों में कई अक्षमताओं की उपस्थिति और अक्षमता से उत्पन्न होने वाले कई परिणामों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिए विकलांगता नहीं हो सकती है। इसे वास्तव में एक आयामी के रूप में समझें। उचित समायोजन के

लिए नीति निर्माताओं को अक्षमता के सभी आयामों को समझने और उन उपायों को तैयार करने की आवश्यकता होती है जो उनकी पहुंच और मतभेदों और आकांक्षाओं के सम्मान में आवश्यकताओं के अनुपात में हों। उचित आवास को इस तरह से नहीं समझा जा सकता है जो प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को उस अनुकूलन से वंचित करता है जो वह चाहती है।

वह अपनी कक्षा में है, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। 24 आवास की तर्कसंगतता का आकलन करते समय, न केवल संबंधित विकलांग व्यक्ति के लिए, बल्कि भविष्य में इसी तरह रखे गए अन्य विकलांग लोगों के लिए भी आवास के लाभ पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

49. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति के रूप में 25

समावेशी समानता का सिद्धांत। 26 यह एक मूल समानता सुविधा प्रदाता है। उचित आवास के बीच इस संबंध की स्थापना और गैर-भेदभाव इस प्रकार तत्काल प्रभाव का दायित्व पैदा करता है। 27 इस अधिकार-आधारित और विकलांग-केंद्रित अवधारणा के तहत

उचित आवास, उचित प्रदान करने में विफलता

आवास भेदभाव का गठन करता है। संबंधित विकलांग व्यक्ति के परामर्श से मामले-दर-मामले के आधार पर उचित आवास निर्धारण किया जाना चाहिए। 28 प्रासंगिक बाधाओं से कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में धारणा बनाने के बजाय, उचित समायोजन के सिद्धांत के लिए संबंधित व्यक्ति के साथ बातचीत की आवश्यकता होती है -

निर्धारित करें कि बाधा से कैसे निपटा जाए। 29

50. एक घटक के रूप में उचित आवास की अवधारणा

समानता की गारंटी को इस न्यायालय के उदाहरणों की एक सुसंगत पंक्ति में मान्यता दी गई है। 3 ओ 30 सचित्र रूप से, सैयद बशीर-उद-दीन कादरीव में। नजीर अहमद शाह 3 1, यह न्यायालय, न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर के माध्यम से बोलते हुए,

24 अमिता ढांडा, प्रो. कानून के, नालसार, "मेरे अपने एक वर्ग में: अक्षमता के दृष्टिकोण से उचित समायोजन "[पीपीटी प्रस्तुति]।

25 " सी. आर. पी. डी. समिति की 26 सी. आर. पी. डी. समिति, समानता और गैर-भेदभाव पर सामान्य टिप्पणी 6 (2018) [जी. सी. 6], सी. आर. पी. डी./सी./जी. सी./6,26 अप्रैल, 2018, पैरा 11।

28 सी. आर. पी. डी. समिति, जी. सी. 6 पैरा 25 [सी] पर। 29 अन्ना लॉसन, 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और रोजगार में गैर-भेदभाव पर कन्वेंशन में उचित समायोजनः चुनौतियों का सामना करना? ' , चार्ल्स ओ 'महोनी और जेरार्ड क्विन (संस्करण) में, विकलांगता कानून और नीतिः संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक विश्लेषण (डबलिनः क्लारस प्रेस, 2017), पीपी। 359-74 , 362 पर।

30 राजीव रतुरी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , 2017 (14) स्केल 412, जीजा घोष और अन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2016) 7 एस. सी. सी. 761 और विकलांग अधिकार समूह और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2018) 2 एससीसी 397। 31 (2010) 3 एससीसी 603।

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति को ब्लैकबोर्ड पर लिखने में असमर्थता के प्रभाव की भरपाई के लिए एक उचित समायोजन के रूप में बाहरी इलेक्ट्रॉनिक सहायता तक पहुंच दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि

निम्नलिखित हैः

" 31. ..... जबकि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति ब्लैकबोर्ड पर लिखने में सक्षम नहीं हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बाहरी सहायता प्रदान की जा सकती है जो एक आरेख बनाने की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है और उसी को स्क्रीन पर एक चित्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो

इसे न्यूनतम प्रयास के साथ पेश किया जा सकता है।

51. इस न्यायालय द्वारा उचित समायोजन के सिद्धांत पर सीधा असर डालने वाले एक असंगत नोट को दो में अभिव्यक्ति मिलती है।

वी. सुरेंद्र मोहन बनाम के मामले में इस न्यायालय की न्यायपीठ का निर्णय। तमिलनाडु राज्य 3 2 32 ("मोहन")। इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न हुई। मुद्दा यह था कि

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग का निर्णय 3 3

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने के लिए 40-50% दृष्टि/श्रवण हानि की अधिकतम सीमा। भिन्न रूप से, एक व्यक्ति जिसकी दृष्टि/श्रवण हानि 50 प्रतिशत से अधिक थी, उसे उक्त पद के लिए पात्र होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उक्त मामले में, अपीलार्थी की अक्षमता 70 प्रतिशत थी। अपीलार्थी का नाम पंजीकृत नंबरों की सूची में शामिल नहीं था जिन्हें मौखिक परीक्षण में अस्थायी रूप से भर्ती किया गया था। उन्होंने इसे मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 5 जून 2015 के अपने फैसले में कहा कि सरकार के 8 अगस्त 2014 के फैसले और 26 अगस्त 2014 को टी. एन. पी. सी. द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'आई. डी. 1' अक्षमता वाले आंशिक रूप से अंधे लोग ही पात्र थे और 70 प्रतिशत अक्षमता वाले अपीलार्थी चयन में भाग लेने के पात्र नहीं थे।

52. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि किसी राज्य में न्यायिक अधिकारी के पास मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लिखने के लिए सुनवाई, देखने और बोलने की क्षमता की उचित सीमा होनी चाहिए और इसलिए, इस पद के लिए पात्र होने की शर्त के रूप में श्रवण हानि या दृष्टि हानि में 50 प्रतिशत अक्षमता की सीमा निर्धारित करना एक वैध प्रतिबंध है। इस अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के इस कथन की पुष्टि की कि एक दृष्टि या श्रवण बाधित न्यायाधीश, जिसकी अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक है, के सामने आने वाली सामाजिक रूप से निर्मित बाधाओं को दूर करने का प्रयास करने से 'टालने योग्य जटिलताएं' पैदा होंगी। नतीजतन, विवादित छत वैध पाई गई। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया है:

32 (2019) 4 एससीसी 237।

" 40 ..... उच्च न्यायालय ने अपने अतिरिक्त बयान में सिविल न्यायाधीश के कार्यों और कर्तव्यों को निम्नलिखित शब्दों में शामिल किया है:
" 7 .....

बिगड़ी हुई दृष्टि केवल इनमें से किसी भी कार्य को करना बेहद कठिन, यहां तक कि असंभव भी बना सकती है। इसलिए, 50 प्रतिशत के स्तर से परे विकलांग लोगों के लिए नियुक्ति में कोई भी आरक्षण बनाना उचित नहीं है क्योंकि इससे ऐसा हो सकता है।

व्यावहारिक और प्रतीत होने वाली अन्य परिहार्य जटिलताएँ। इसके अलावा, गोपनीय तरीके से मामले के कागजात और अन्य सामग्री रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय तैयार करने की आवश्यकता को देखते हुए, एक लेखक या इसी तरह की सहायता गोपनीयता को पूरी तरह से छीन लेती है।

और विवेक जो पद की मांगों के साथ आता है "।

53. भारत के यू. एन. सी. आर. पी. डी. में एक पक्ष बनने और आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 लागू होने के बाद इस न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था। द.

54. ऊपर उद्धृत भाग में इस न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण सवाल उठाता है। विशेष रूप से, उचित आवास विश्लेषण के तहत प्रासंगिक प्रश्न यह नहीं है कि क्या उचित आवास के अनुदान से जटिलताएं पैदा होंगी। परिभाषा के अनुसार, उचित समायोजन यथास्थिति से प्रस्थान की मांग करता है और इसलिए 'परिहार्य जटिलताएं' अपरिहार्य हैं। प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या इस तरह के आवास असमान या अनुचित को जन्म देंगे। बोझ। दोनों परीक्षण पूरी तरह से अलग हैं।

55. जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, उचित आवास सिद्धांत की आधारशिला ऐसे समायोजन करना है जो विकलांगों को सक्षम बनाते हैं।

अपनी अक्षमता से उत्पन्न बाधाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति। इसकी अनुपस्थिति से कोई उचित समायोजन विश्लेषण स्पष्ट है।

मोहन में इस न्यायालय द्वारा जो भी हो। इस तरह के विश्लेषण के लिए आवश्यक विशिष्ट आवास, उन्हें प्रदान करने की लागत, उस प्रभावकारिता के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता होगी जिसके साथ अन्य न्यायाधीश विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भारत और विदेशों में 40-50% से अधिक दृष्टि/श्रवण हानि आवश्यक प्रावधान किए जाने के बाद न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है।

आवास, अन्य कारकों के बीच। यह अभिनिर्धारित करने में कि उचित के सिद्धांत को लागू करने पर अधिकतम सीमा उचित थी

समायोजन, जैसा कि व्याख्या किया गया अनुपात "विशिष्ट प्रोत्साहनकारी आयाम के रूप में विफल रहता है जिसे यह निर्धारित करते समय हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या एक विकलांग व्यक्ति को एक सक्षम-शरीर वाले व्यक्ति की तुलना में होने वाले नुकसान को दूर करने में सहायता करने के लिए एक समायोजन उचित है।" 34 यह विकलांग व्यक्ति हैं जो इस चूक के शिकार हुए हैं।

56. इस तथ्य के आलोक में कि मोहन में इस अदालत का दृष्टिकोण था

1995 के अधिनियम के तहत एक मामले में प्रस्तुत किया गया जिसे अब आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और एक उचित प्रावधान के अभाव में

इस न्यायालय द्वारा समायोजन विश्लेषण, मोहन निर्णय कानूनी रूप से कमजोर आधार पर खड़ा है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद यह एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगी।

57. ए. एस. जी. का तर्क है कि सुविधाओं का एक पूरा समूह है

विकलांगों को उनकी अक्षमता के प्रतिशत के बारे में पूछताछ किए बिना प्रदान किया गया है और यह कि एक प्रतिशत केवल उन मामलों में आवश्यक है जैसे कि वर्तमान दो कारणों से त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले, इस तर्क को रेखांकित करने वाला असंबद्ध आधार यह प्रतीत होता है कि विकलांगों के कानूनी रूप से गारंटीकृत अधिकार राज्य द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हैं और उचित आवास की अवधारणा की गलत समझ को दर्शाते हैं। चूँकि उचित आवास एक घटक है विकलांगों के साथ भेदभाव न करने का कर्तव्य, जैसा कि हमने ऊपर समझाया है, राज्य अपने विकलांग नागरिकों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। उचित आवास की एक मजबूत अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है।

58. दूसरा, और संबंधित रूप से, ऐसा होने के कारण, एक विकलांग उम्मीदवार को यह बताने का कोई जवाब नहीं हो सकता है कि जिसकी अक्षमता वास्तव में एक तक पहुंच की आवश्यकता है

लिखिए कि उन्हें पहले से ही उपरोक्त सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन सुविधाओं को प्रदान करना राज्य को एक प्रदान करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता है

विकलांग उम्मीदवार की एक लिपिक तक पहुँच, जब यह आवश्यकता स्पष्ट रूप से उनकी अक्षमता से संबंधित होने के रूप में स्थापित की जाती है।

59. ए. एस. जी. ने उसके कारण होने वाली कठिनाई का उल्लेख किया

खतरनाक परिणामों के एक उदाहरण के रूप में कार्पेल टनल सिंड्रोम होना जो दरवाजा खोलने से बहुत व्यापक रूप से प्रवाहित होगा जब यह

लेखकों को अनुदान देने के लिए आता है। सुनवाई में, उदाहरण भी दिए गए थे

34 प्रथम समूह पी. एल. सी. v. पॉलली [2017] यूकेएससी 4, पैरा 117 [लॉर्ड केर-आंशिक रूप से असहमत]।

व्यक्तियों को एक छोटी, रोजमर्रा की समस्या होती है और उस आधार पर एक लेखक की अपेक्षा होती है। जबकि वैध है, इस तरह की तुलना एक वैध विकलांगता-आधारित उचित आवास की आवश्यकता वाले

लोगों और रोजमर्रा की जीवन की समस्याओं वाले अन्य लोगों के बीच एक गलत समानता पैदा कर सकती है। 35

इसलिए, यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन लोगों की जरूरतों को हल्का या तुच्छ न करें, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत की मात्रात्मक सीमा को पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी एक लेखक के उचित आवास और अतिरिक्त समय के अनुदान के योग्य होने के लिए पर्याप्त रूप से अक्षम हैं। जैसा कि सी. आर. पी. डी. समिति ने नोट किया है, यह उम्मीद करना गलत है कि एक विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता के कारण आवश्यक आवास का दावा करने के लिए 'पर्याप्त विकलांग' है। 3 6 इस तरह का दृष्टिकोण आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के प्रगतिशील दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होगा।

60. ए. एस. जी. का तर्क कि अपीलार्थी को इसके अधीन होना चाहिए

आगे की चिकित्सा जांच, भले ही उनकी विकलांगता को स्वीकार कर लिया गया हो, एक प्रमुख बाधा का प्रतीक है जो अक्सर विकलांगों के भारत में उचित आवास तक पहुँचने में सक्षम होने के रास्ते में आती है। जैसा कि सी. आर. पी. डी. समिति भारत पर अपनी समापन टिप्पणियों में देखती है, सक्षम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि "कई आकलन [विकलांगता के अस्तित्व के रूप में] आवेदकों के लिए अनुचित बोझ पैदा न करें।" 9937

61. पार्टी का तर्क है कि एक विशेष आवास होगा

एक असमान या अनुचित बोझ को लागू करने के लिए यह साबित करना होगा। 38 और इस तरह का औचित्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। 39 इसके अलावा, सी. आर. पी. डी. समिति ने माना है कि उचित मूल्यांकन

इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि संबंधित समर्थन और अनुकूलन उपाय एक पूर्ण और वस्तुनिष्ठ तरीके से सभी प्रासंगिक तत्वों को शामिल करते हुए किया जाना चाहिए।

राज्य पक्ष के लिए असमान या अनुचित बोझ "। 40 इसी पृष्ठभूमि में अब हम ए. एस. जी. के मुख्य औचित्य पर विचार करेंगे।

35 आई. डी. ए. पी. साक्षात्कार श्रृंखला: न्यायाधीश रोनाल्ड एम. गोल्ड के साथ साक्षात्कार XV, प्रश्न का उत्तर। 13 , HTTPS पर उपलब्ध: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. इडियालॉ। ओआरजी/ब्लॉग/आईडीएपी-साक्षात्कार-श्रृंखला-साक्षात्कार-xv-न्यायाधीश के साथ-रोनाल्ड-एम-गोल्ड /

36 सी. आर. पी. डी. समिति, जी. सी. 6, पैरा 73 [बी]। 37 सी. आर. पी. डी. समिति, भारत की रिपोर्ट पर समापन अवलोकन, [समापन अवलोकन], जी. ई. 19- 18639 [ई], 24 सितंबर, 2019, पैरा 7 [बी]। 38 सी. आर. पी. डी. समिति, जी. सी. 6, पैरा 26 [छ]।

39 पैरा 27 पर आईडी। 4 0 सी. आर. पी. डी. समिति, सुश्री जे. एच. बनाम ऑस्ट्रेलिया, GE.18-22328 (ई), 31.08.2018, पैरा. इसी तरह का विचार समिति द्वारा माइकल लॉकरी बनाम

ऑस्ट्रेलिया, सी. आर. पी. डी./सी./15/डी./13/2013,30 मई, 2016 के मामले में भी अपनाया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी और अन्य समान रूप से स्थित लोगों को एक लिपिक के उचित समायोजन से इनकार करना, अर्थात् कि एक लिपिक की सुविधा का नापाक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

I. दुरुपयोग का तर्क

62. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने शपथ ली

सी. एस. ई. की प्रतिस्पर्धी प्रकृति और परीक्षा की शुद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। तर्क को स्वीकार करने में कठिनाई अनुक्रम में निहित है। इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सी. एस. ई. अपने आप में प्रतिस्पर्धी है। इसी तरह परीक्षा की शुद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन यह आशंका कि एक लेखक की सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, नागरिकों के पूरे वर्ग-विकलांग व्यक्तियों, जिन्हें एक लेखक की आवश्यकता होती है, को वैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए कोई वैध आधार प्रदान नहीं कर सकती है।

अधिनियम के प्रावधानों से, इस धारणा पर कि कोई व्यक्ति कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकता है। इस तर्क के दो और जवाब हैं। सबसे पहले, सुश्री दीवान ने इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत नहीं किया है कि विकलांग व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं

किसी भी अनुचित लाभ को प्राप्त करने के लिए लेखकों की सुविधा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उचित आवास प्रदान करने का औचित्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। दुरुपयोग के बारे में अनुमान इस परीक्षा को पूरा नहीं करता है।

उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन के कई पहलुओं में रूढ़िवादिता का सामना करें। उनमें से एक यह है कि वे दूसरों की तरह प्रदर्शन नहीं करते हैं। अन्य रूढ़िवादिताओं की तरह, यह भी पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और वास्तविकता के विपरीत है। इस तरह का एक सक्षम आधार यू. एन. सी. आर. पी. डी. और आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में निहित विकलांगता के दृष्टिकोण के साथ असंगत है। यह सोचना कि विकलांग व्यक्ति जिनके पास एक बेंचमार्क विकलांगता नहीं है, लेकिन फिर भी पहुँच का अनुरोध करते हैं

एक लेखक के लिए, एक वर्ग के रूप में, खेल का उद्देश्य उनकी आकांक्षा को गलत समझना, उन्हें धोखेबाजों के बैज से छापना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करना है। प्रणाली सक्षम-शरीर वाले व्यक्तियों द्वारा खेले जाने के लिए असुरक्षित हो सकती है, हालांकि, यह है

वास्तविक समय स्टेनो-कैप्शनिंग करने के लिए एक बधिर जूरी सदस्य को एक आशुलिपिक तक पहुँच प्रदान करना उचित समायोजन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है] और जेम्मा बिस्ले बनाम ऑस्ट्रेलिया, GE.16-08383 (E) 290716 290716,29 अप्रैल, 2013 पैरा 8.5 [यह मानते हुए कि श्रवण बाधित जूरी सदस्य को ऑस्लान दुभाषिया तक पहुँच प्रदान करने में विफलता उचित समायोजन के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

विकलांग व्यक्ति जिन्हें लागत वहन करने के लिए कहा जा रहा है

प्रतियोगी परीक्षाओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस धारणा पर अपने कानूनी अधिकारों को छोड़ दें कि दुरुपयोग की संभावना है।

64. जब सक्षम विकलांग व्यक्ति यह महसूस करने में असमर्थ होते हैं

उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के कारण उनकी पूरी क्षमता के कारण, हमारे समाज को उतना ही नुकसान होता है, जितना कि विकलांग लोगों को होता है। उनके खिलने और खिलने में, हम सभी खिलते और खिलते हैं। इस मामले में यू. पी. एस. सी. के कठोर दृष्टिकोण (बेंचमार्क विकलांग लोगों को स्क्राइब प्रदान करने से इनकार करने का) के परिणामस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण हारने वाला स्वयं यू. पी. एस. सी. है। क्योंकि यह राष्ट्र को होने के अवसर से वंचित कर रहा है

अत्यधिक सक्षम लोगों द्वारा सेवा की जाती है जो समान अवसर और एक बाधा मुक्त वातावरण तक पहुँच के अलावा कुछ भी दावा नहीं करते हैं।

यही परिणाम एक उम्मीदवार द्वारा अपनी अक्षमता का उपयोग करके प्रणाली का उपयोग करने से भी हो सकता है। यदि कुछ घटनाएं सक्षम शरीर के प्रकाश में आती हैं उम्मीदवार अपने ड्रेस कोड में चिट्स छिपाते हैं और परीक्षा में धोखा देने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं, सामान्य परिणाम ऐसे छात्रों के खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई है। यह एक अलग ड्रेस कोड पर स्विच करने के लिए नहीं है

यह असहज है कि कई सक्षम छात्रों को परीक्षा की पूरी अवधि के लिए इसमें बैठने और अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कठिनाई होती है। इसी तरह, प्रणाली में कुछ खराब सेबों की खराबी के कारण, विकलांग व्यक्ति जिनकी अक्षमता के कारण एक लेखक तक पहुंच की आवश्यकता होती है

उसी का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। 41

66. दूसरा, जाँच निकाय प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का हकदार है।

जो दुरुपयोग के खिलाफ सुनिश्चित करता है और किसी भी मामले से निपटने के लिए जो प्रकाश में आ सकता है।

यह भारत के लिए कोई विशिष्ट या कठिन समस्या नहीं है।

प्रकृति। उदाहरण के लिए, मार्च 2019 में, यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ

जाँच ने एक जाँच संहिता शुरू की-जिसका नाम ऑपरेशन वर्सिटी ब्लूज़ है जिसे 'कॉलेज प्रवेश घोटाले' के रूप में जाना जाता है। जाँच के हिस्से के रूप में, कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में विस्तारित समय की मांग करने के आरोप में आरोप लगाया गया, यह गलत तरीके से दिखाकर कि संबंधित छात्र सीख रहे थे 41 41 डॉ. संजय जैन, "शिक्षा का अधिकार: ए. डी. एस. सुरेंद्रकुमार और एच. एल. विनोद ने हाशिए पर पड़े समुदायों को "हाशिए पर पड़े समुदायों और उच्च शिक्षा" में सक्षम बनाया।

और उच्च शिक्षा ", सेज पब्लिकेशन 2021, सेक्शन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्क्राइब दिशानिर्देश [आगामी]।

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अक्षमताएँ, ताकि आवश्यक चिकित्सा दस्तावेज प्राप्त किए जा सकें। एक बार आवास स्वीकृत हो जाने के बाद, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और ह्यूस्टन, टेक्सास और हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में परीक्षण केंद्रों में प्रतिरूपण हुआ। 42 यह कहने के लिए पर्याप्त है कि दुरुपयोग की संभावना का उपयोग विकलांग व्यक्तियों को एक लेखक की सुविधा प्राप्त करने से समान पहुंच से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसी सुविधा के अभाव में, अपीलार्थी जैसे व्यक्ति जो एक पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति से पीड़ित हैं, सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति प्राप्त करने में समान अवसर के वैधानिक अधिकार से वंचित होंगे। ऐसा करने से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के प्रावधानों में संवैधानिक अधिकार और इसकी वैधानिक मान्यता दोनों को नकार दिया जाएगा।

जे. हमारे प्रवचन की भाषा

67. जिस तरह से हम विकलांगता को एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखते हैं, उसमें बदलाव

एक व्यक्तिगत विकृति के बजाय-जिस तरह से हम विकलांग व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं, उसे भाषाई बदलाव में भी बदलना चाहिए। हमारे प्रवचन की भाषा में विकलांगों को महसूस कराने की स्पष्ट इच्छा होनी चाहिए सशक्त और शामिल, अलग-थलग नहीं और अपने सक्षम-शरीर वाले समकक्षों से अलग आधार पर स्थित हैं-चाहे वे पीठ पर हों या पिंजरे में।

68. न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में अक्षमता की पुष्टि की

'पीड़ा' और 'रोग' के संदर्भ में अपीलार्थी। विशेष रूप से, 30 मई 2018 के अपने आदेश में, न्यायाधिकरण ने पैरा 5 में कहा: आवेदक राइटर्स क्रैम्प नामक बीमारी से पीड़ित है। 7 अगस्त 2018 के अपने आदेश में, पैरा 7 में, न्यायाधिकरण विकलांगों से पीड़ित लोगों को संदर्भित करता है। भले ही इसका उपयोग अनजाने में हो, हम इसके स्थायी होने को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

समाज विकलांगों को जिस तरह से देखता है और जिस तरह से वे खुद को देखते हैं, उसे आकार देने में प्रभाव। अक्षमता को एक ऐसी पीड़ा के रूप में देखना जो कारण बनती है

पीड़ा, या जो इसे ईश्वर-प्रदत्त भाग्य (चाहे वह आशीर्वाद हो या अभिशाप) के रूप में देखता है, वह विकलांगता के चिकित्सा मॉडल में निहित है। हमारा विमर्श उन संदर्भों में होना चाहिए जो विकलांगता को देखने के लिए मानवाधिकार मॉडल की मान्यता को दर्शाते हैं। असंवेदनशील भाषा विकलांग व्यक्तियों की मानवीय गरिमा का अपमान करती है।

69. भारत पर अपनी समापन टिप्पणियों में, सी. आर. पी. डी. समिति

के जीवन के विपरीत "सामान्य जीवन" के संदर्भ में चिंता के साथ नोट्स

42 अमेरिकी न्याय विभाग, राष्ट्रव्यापी कॉलेज प्रवेश घोटाले में की गई गिरफ्तारी: कथित परीक्षा धोखाधड़ी और एथलेटिक भर्ती योजना, 12 मार्च, 2019, यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्याय। जी. ओ. वी./यूसाओ-मा/पी. आर./गिरफ्तारी-निर्मित-राष्ट्रव्यापी-कॉलेज-प्रवेश-घोटाला

कथित-परीक्षा-धोखाधड़ी-एथलेटिक 43 सी. एन. एन. से व्याख्या की गई, 'गिन्सबर्ग:' जिस आसन पर आप महिलाओं को रखते हैं, वह एक पिंजरा है ', 12 फरवरी, 2018, जो यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूटचूब। कॉम/वाच/एसजे9 गोट 6 सी500 [2021] 12 एससीआर।

विकलांग व्यक्ति और "मानसिक रूप से बीमार" और "दिव्यांगजन" जैसी अपमानजनक शब्दावली, जैसा कि यह नोट करता है, विवादास्पद बनी हुई है। यह हमारी गंभीर आशा है कि अधिकारों के बारे में आदर्श-परिवर्तनकारी बातचीत

और विकलांगों की स्थिति, जो सी. आर. पी. डी. समिति ने उत्पन्न की है, उस भाषा में एक प्रतिध्वनि पाएगी जिसका उपयोग हम उन्हें संदर्भित करने के लिए करते हैं।

के. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की परिवर्तनकारी क्षमता को महसूस करना: सिद्धांत से अभ्यास तक 70. सुनवाई में, हम में से एक ने स्पष्ट रूप से नोट किया कि एक लेखक तक पहुँचने के लिए एक बेंचमार्क विकलांगता के मानदंड को लागू करना-एक क्षेत्र

जिसकी वैधानिक ढांचे के अनुसार कोई प्रासंगिकता नहीं है-आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के बारे में अधिकारियों की ओर से जागरूकता की गहरी कमी को दर्शाता है। 29 अगस्त 2018 के ओ. एम. ने अपने अग्रभाग में निम्नानुसार पाठ किया है:

" अधिनियम [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016] उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है।

71. जैसा कि एक टिप्पणीकार टिप्पणी करता है, "यदि विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अनुदान के लिए दिशानिर्देशों के बीच संबंध है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में। हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान भी लेना चाहेंगे कि कई मामले सामने आए हैं। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 और 29 अगस्त के ओ. एम. की बेशर्मी से अवहेलना करने वाले लेखकों के अनुदान के लिए मानदंड तय करने वाले अधिकारी

44 सी. आर. पी. डी. समिति, भारत पर समापन अवलोकन, पैरा 6 [बी]। 45 आइबीआइडी।

46 डॉ. संजय जैन, "शिक्षा का अधिकार: ए. डी. एस. सुरेंद्रकुमार और एच. एल. विनोद ने हाशिए पर पड़े समुदायों को "हाशिए पर पड़े समुदायों और उच्च शिक्षा" में सक्षम बनाया। और उच्च शिक्षा ", सेज पब्लिकेशन 2021 क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्क्राइब दिशानिर्देश [आगामी]।

47 लाइव लॉ न्यूज नेटवर्क, 'बीसीआई विकलांग वकीलों के लिए प्रवेश बाधाओं का निर्माण कर रहा है': नेत्रहीन ए. आई. बी. ई. उम्मीदवार ने कहा; 2018 पीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों, 7 जनवरी, 2021 के उचित कार्यान्वयन की मांग करता है, जो यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. जीवंत। इन/टॉप-स्टोरीज/बार-काउंसिल-ऑफ-इंडिया ऐबे-व्यक्ति-विकलांग-नेत्रहीन-कानून-छात्र-168124; रिटू मरियम बीजू, एआईबीई 2021: क्या बी. सी. आई. विकलांग विधि स्नातकों के लिए प्रवेश बाधाएं पैदा कर रहा है? 23 जनवरी, 2021, बार और

बेंच, जो यहाँ उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. बारैंडबेंच। कॉम/न्यूज/ऐबे-2021-इस-बी. सी. आई.-क्रिएटिंग-एंट्री बैरियर्स-फॉर-डिसेबल्ड-लॉ-ग्रेड्स विकास कुमार बनाम।

संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

72. यदि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में निर्धारित कानूनी अधिकार केवल चर्मपत्र नहीं बने रहते हैं, तो इससे उबरने में हमारी असमर्थता दिखाई देती है

बुनियादी रूप से असमान व्यवहार के खिलाफ बाधाओं के कारण, नोडल मंत्रालय को अन्य प्रासंगिक अभिनेताओं के साथ समन्वय में यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास करना चाहिए कि अधिनियम का लाभ वास्तव में इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। इस संबंध में, यू. एन. सी. आर. पी. डी. के अनुच्छेद 8 (2) में जागरूकता बढ़ाने के उपायों को रेखांकित किया गया है जो किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 8 के आधार पर, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 राज्य के संचालन और संवर्धन की आवश्यकता को दर्शाता है।

धारा 39 में जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम। विकलांग व्यक्तियों के कौशल और क्षमताओं और कार्यबल में उनके योगदान और उनके पारिवारिक जीवन में विकलांग व्यक्तियों के निर्णयों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए इन्हें मान्यता देने और आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक क्षेत्रों में दिव्यांगता की स्थिति और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों आदि पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सरकार को इन प्रावधानों को नियमित रूप से लागू करना चाहिए ताकि हमारे समाज को रोजमर्रा की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके जो उनके विकलांग समकक्षों पर सक्षम शरीर के कार्यों या निष्क्रियता से हो सकती हैं।

एल. अपीलार्थी का मामला

इस न्यायालय का आदेश यह राय देने में स्पष्ट है कि अपीलार्थी को एक निर्दिष्ट अक्षमता है क्योंकि उसे एक पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति है। यह शर्त आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की अनुसूची की प्रविष्टि IV का हिस्सा है। लेखक की ऐंठन को क्रमिक रूप से एक ऐसी स्थिति पाया गया है जो अपीलार्थी की है, जिससे उसके लिए एक पारंपरिक परीक्षा लिखना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान जैसी स्थिति में एक लेखक की सुविधा से इनकार करना उन मूल्यवान अधिकारों और अधिकारों को नकार देगा जिन्हें आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा मान्यता प्राप्त है। 74. इसलिए हम यह मानते हैं और घोषणा करते हैं कि अपीलकर्ता सिविल सेवाओं में उपस्थित होने के लिए एक लिपिक की सुविधा का हकदार होगा।

परीक्षा और सरकार के अधिकार के तहत आयोजित कोई अन्य प्रतियोगी चयन।

एम. विकलांग व्यक्तियों के लिए लेखकों तक पहुंच से संबंधित नई नीति का निर्माण 75. समापन से पहले, हम सामाजिक न्याय मंत्रालय और [2021] 12 एस. सी. आर. में केंद्र सरकार को एक व्यापक निर्देश जारी करने का भी इरादा रखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित दिशा-निर्देश तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारिता जो धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर विकलांग व्यक्तियों को एक लिपिक की सुविधा प्रदान करने को विनियमित और सुविधाजनक बनाएगी,

जहां अक्षमता की प्रकृति उम्मीदवार के लेखन में बाधा डालने के लिए काम करती है। जाँच। प्रक्रियाओं को तैयार करने में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित मानदंड निर्धारित कर सकता है कि उम्मीदवार की स्थिति को ऐसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए जो निर्धारित किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल जरूरतमंद वास्तविक उम्मीदवार ही इसका लाभ उठा सकें। यह प्रक्रिया इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और दिशानिर्देशों की एक प्रति इस प्रकार होगी -

इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को प्रेषित किया गया। दिशानिर्देशों की प्राप्ति पर पंजीयक (न्यायिक) इसे उस अभिलेख पर रखेगा जिस पर कार्यवाही को निर्देशों के शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा।

76. दिशानिर्देश तैयार करते समय, हम जोखिम पर दोहराते हैं

दोहराएँ कि केंद्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उचित आवास प्रदान करने का कर्तव्य एक व्यक्तिगत कर्तव्य है जैसा कि सी. आर. पी. डी. समिति द्वारा सामान्य टिप्पणी 6 में भी उल्लेख किया गया है। दूसरे शब्दों में, संबंधित निकाय द्वारा मामले-दर-मामले दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। उचित आवास प्रदान करने के दायित्व के साथ आरोपित। इसके लिए संबंधित निकाय को व्यक्ति के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है।

विकलांगता के साथ। आवास के प्रावधान के लिए उपलब्ध वित्तीय लागत और संसाधनों पर विचार करते समय, किसी संगठन के भीतर केवल संबंधित इकाई या विभाग के संसाधनों के बजाय समग्र परिसंपत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों को आवास की लागत वहन करने की आवश्यकता न हो।

77. हम यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि

विकलांग व्यक्ति और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी उनके अधिकारों की प्राप्ति में कोई भी सार्थक बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। विकलांग व्यक्तियों के आंदोलनों के उद्भव और "हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं" के दर्शन पर ध्यान देते हुए, सी. आर. पी. डी. समिति ने अपनी सामान्य टिप्पणी संख्या 7 में विकलांग व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को शामिल करके इस तरह के सहभागी निर्णय लेने के महत्व को भी रेखांकित किया है। 48 48 सी. आर. पी. डी. समिति, कन्वेंशन, सी. आर. पी. डी./सी./जी. सी./7,9 नवंबर 2018, पैरा 5 के कार्यान्वयन और निगरानी में अपने प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से विकलांग बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी पर सामान्य टिप्पणी संख्या 7 (2018)।

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

78. भारत में, जैसा कि इस मामले में डिस्कनेक्ट नीति से पता चलता है, इस तरह के निर्णय में अक्सर विकलांगों की भागीदारी की कमी होती है

प्रक्रियाएँ बनाना, जिससे उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और उनकी शिकायतें अनसुलझी रह जाती हैं। इसे सी. आर. पी. डी. समिति द्वारा अपनी समापन टिप्पणियों में चिंता के क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।

भारत। 49 अपने संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, हम एमएसजेई को उपरोक्त दिशानिर्देशों को तैयार करने का निर्देश देते हैं।

जनता के साथ परामर्श, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के साथ

N. योग में

79. जब राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने कानून में हस्ताक्षर किए

यहाँ वैकल्पिक कामुकता के व्यवसायी] एक विकलांगता के साथ अब पास कर सकते हैं समानता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के एक उज्ज्वल नए युग में एक बार बंद दरवाजों के माध्यम से।" 50

80. तब से बीत चुके तीन दशकों में, एक पीढ़ी

विकलांग अमेरिकियों का उदय हुआ है, जो खुद को ए. डी. ए. पीढ़ी कहते हैं। ये विकलांग लोग ए. डी. ए. की गारंटी को जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और सुलभ बुनियादी ढांचे के कारण, विकलांगता भेदभाव पर सख्त प्रतिबंध और सार्वजनिक दृष्टिकोण में बदलाव के कारण, अपने सक्षम-शारीरिक समकक्षों के साथ समान शर्तों पर अमेरिकी जीवन में भाग लेने में सक्षम हैं। 51 81. वर्तमान जैसे मामले हमें आर. पी. डब्ल्यू. डी. पीढ़ी बनाने की परियोजना में सार्थक योगदान करने का अवसर प्रदान करते हैं।

49 सी. आर. पी. डी. समिति, भारत पर समापन टिप्पणियाँ, पैरा 10,11। 50 ADA.Gov, विकलांग अधिनियम, 26 जुलाई, 1990 के साथ अमेरिकियों के हस्ताक्षर पर राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश की टिप्पणी, HTTPS पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अदा। सरकार /

जीएचडब्ल्यू बुश अदा टिप्पणी करते हैं। एचटीएमएल

51 जोसेफ शापिरो, डिसेबिलिटी प्राइड: द हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए न्यू जेनरेशन, 17 जुलाई, 2020, द न्यूयॉर्क टाइम्स, यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यूयॉर्क टाइम्स। com/2020/07/17 स्टाइल/अमेरिकन्स-विद-डिसेबिलिटीज-एक्ट।

32. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश को दरकिनार करते हैं।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

3. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, तो निपटाया जा सकता है।

सुश्री संचिता ऐन, विद्वान वकील ने भी अदालत को मूल्यवान जानकारी प्रदान की है। समापन करने से पहले हम अपना रिकॉर्ड करते हैंजो श्री राजन मणि, ले धवी दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अ.